[श्री मोहन भाई पटेल]

है, वह पूरा किया जा सकता है और इसमें 120 करोड़ रु० की ड्यूटी हमें मिलती है जो आज तीन हजार रु० प्रति टन है। यदि 16 लाख टन एडिबल आयल मंगवाया जाये तो 40 करोड़ रु१ की और ड्यूटी हमें मिलती है। और महत्व की बात यह है प्रदेशों से पांच से छ: रु० तक प्रति किलो तेल हमारे यहां पहुंचता है जबकि हमारे यहां 12 से 15 रू० प्रति किलो का रेट है। यदि हम चार लाख टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें एक लाख 45 हजार टन तेल उसमें बाहर चला जाता है।

सभापति महोदय, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जबकि इतनी ही कीमत से 16 लाख टन तेल आ सकता है।

MR. CHAIRMAN: You will continue your speech next time.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

TWENTY-FIRST REPORT

SHRIMATI KRISHNA SAHI (Begusarai): I beg to move:

"That this House do agree with the Twenty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 8th April, 1981."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do agree with the Twenty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 8th April, 1981."

The motion was adopted.

15.30 hrs.

RESOLUTION RE: DEVELOPMENT OF HILLY REGIONS—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: The House will now take up further discussion on the Resolution moved by Prof. Narain Chand Parashar on 27th March 1981 on the Development of hilly regions. Since many hon. Members want to participate in this discussion, I would request hon. Mebmers not to take more than 3 to 4 minutes.

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : जनाब चेयरमैन साहब, प्रो० एन० सी० पराशर साहब ने जो रेजोल्यूशन पेश किया है मैं उस के सपोर्ट में बोलना चाहता हूं। इस ऐवान के सामने उन्होंने जो रेजोल्यूशन पेश किया है वह एक ऐसे वक्त में आया है जब कि हमारा मुल्क फिर एक बार हमारी महबूब लीडर श्रीमती इन्दिरा गांधी की लीडरशिप में हर तरह से तरक्की की राह पर गामजन हुआ चाहता है। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं इन को पास्ट में काफी नेग्लैक्ट किया गया है, शायद डेलिब्रेटली न किया गया हो कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि पहाड़ी इलाकों में रोड कम्यूनिकेशन का न होना सब से बड़ी दिक्कत है जिस की वजह से उन की तरक्की की तरफ आज तक कोई तवज्जह नहीं दे पाये है। इसलिये सब से पहले अगर आप रोड कम्यूनिकेशन को, रोड नेटवर्क या पुलों को नहीं बनाते हैं तो इन पहाड़ी इलाकों की किसी भी तरह से तरक्की नहीं कर सकते। लिहाजा सरकार को चाहिये कि दूसरी चीजों की तरफ तवज्जह देने से पहले सड़कें बनाना होगा। जब रोड्स होंगी, सड़के होंगी, तब जो दूसरे तरक्कियात के काम है, जैसे इण्डस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, वाटर सप्लाई है, हैल्थ के काम हैं, या जो भी काम हैं उन की तरफ तवज्जह दे पायेंगे।

लिहाजा मैं प्लानिंग मिनिस्टर साहब और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि पहाड़ी इलाकों के रोड कंस्ट्रक्शन को तरफ सब से ज्यादा तवज्जह दें।

जनाबेवाला, अभी तो मैं ने शुरू भी नहीं किया है, अब चूंकि आप ने घंटी बजाना शुरु कर दिया है, इसलिये मैं अपनी कास्टीटुयेंन्सी की तरफ आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। प्लानिंग मिनिस्टर साहब को पता है और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को पता है कि जम्मू व काश्मीर को गाडगिल फारमूला एपलाई नहीं होता है। और जम्मू व काश्मीर के अलावा कई और भी स्टेट्स हैं, जिनको यह फारमूला एप्लाई नहीं होता है। जब यह फारमूला बनाया गया था तो खसूसी तौर पर जम्मू व काश्मीर ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने यह रिप्रेजेन्ट किया था कि अगर गाडगिल फारमूले को एप्लाई किया गया, तो जम्मू व काश्मीर जो ऐसी स्टेट है जिसमें ज्यादा तर पहाड़ी इलाका है, वहां पर स्केटर्ड पापूलेशन है, इलाका ज्यादा बड़ा है लेकिन पापूलेशन कम है, तो इस फारमूले के लिहाज से जो प्लान एलोकेशन्स हैं, जो फंड्स हैं, वे नहीं मिल सकते हैं। लिहाजा इस बिना पर उस को उसका हक नहीं मिल सकता है। इस के अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बिना पर आज तक जो फंड्स हमारी स्टेट लेती रही है—बदकिस्मती से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि वहां की सरकार यहां की पापुलेशन के एगेन्सट और उस इलाके के एरिया को सामने रख कर पैसा हासिल करती आई है—वहां जा कर उसने दूसरा स्टैन्डर्ड एप्लाई करना शुरू कर दिया। वहां पर वे कहते है कि पापूलेशन के हिसाब से पैसा खर्चा जाये। नतीजा यह हुआ कि जो पहाड़ी इलाका है, मेरी कांस्टिटुयेन्सी लद्दाख सब से बड़ा इलाका है, और मैंने कई बार इस ऐवान के सामने कहा है कि 97 हजार स्क्वेयर किलोमीटर पर मुश्तमिल है और हरियाणा और पंजाब से तीन गुना मेरी कान्स्टीट्युएन्सी अकेली है, उसको कम पैसा मिला है। वहां पर पापुलेशन बहुत कम है और स्कटर्ड है वहां की सरकार ने वहां पर पापुलेशन के बेसिस पर पैसा बांटना शुरू कर दिया और ऐसा करने में कुछ कम्युनलिज्म उनके जहन में आया—ऐसा मैं कहना नहीं चाहता लेकिन अफसोस है कि मुझे यह कहना पड़ता है—और जानबूझ कर उन्होंने यह किया क्योंकि काश्मीर वैली जो है, वह बहुत ज्यादा थिकली पापुलेटेड एरिया है और वहां पर मेजोरिटी जो है, वह हमारे मुस्लिम फिरके से ताल्लुक रखती है। दूसरा इलाका जो जम्मू का है और जो एक बड़ा एरिया है, वहां पापूलेशन कम है और मेजोरिटी हिन्दुओं की रहती है और उसमें लद्दाख सब से बड़ा एरिया है, जो कि $\frac{2}{3}$ जम्मू व कश्मीर के एरिया का होगा। वहां पर मेजोरिटी बौद्धों का है लेकिन वहां का हमारी सरकार का जहन कम्युनल है और खसूसी तौर पर जो इस वक्त सरकार वहां पर है, उसने यह काम करना शुरू किया। उन्होंने वहां पर कम्युनलइज्म का एक बीज डाल दिया और उस बेसिस पर और दूसरे पापूलेशन को एक बेस बना कर, उन्होंने वहां पर पैसा बांटना शुरू किया। नतीजा यह निकला कि जो गरीब लोग हैं, जो पहाड़ों के बीच में रहते हैं, दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाया और जो शहरों में रहते हैं, उनको ही मैक्सीमम फायदा मिला और अभी भी मिल रहा है।

यह जो आने वाला छठा पांच-साला प्लान है, इसमें जम्मू व कश्मीर को 900 करोड़ रुपया दिया गया है। मैं समझता हूं कि अगर सही तौर पर रकम को इस्तमाल किया जाए, तब तो

[श्री पी० नामग्याल]

यह जो 900 करोड़ रुपया है, यह भी कम है । लेकिन जो इस वक्त हो रहा है वह यह हो रहा है कि दिन दहाड़े सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है और जो पैसा है वह नान-प्रोडक्टिव स्कीम्स पर डाला जा रहा है, प्लान की राशि को स्कीम प्रोडक्टिव स्कीम से हटा कर नान-प्रोडक्टिव स्कीमों पर डाला जा रहा है । जिससे की उनकी जेबें ज्यादा आसानी से भरी जा सकें ।

ये सारे नतीजे आप के सामने हैं। इन हालात में आप पहाड़ी इलाकों में क्या कुछ कर सकते हैं ? यह जो गाडगिल फार्मूला था, वह तो वे यहां से लड़ कर ले गये और कह गये कि हमें पापुलेशन के आधार पर नहीं चाहिए लेकिन वहां पर जा कर के इसको पापुलेशन के बेसिस पर एप्लाई कर रहे हैं । मैं प्लानिंग मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहता हूं कि वे इसके बारे में एक कमेटी मुकर्रर करें जो कि इन सारे मसलों को देखे ।

इसमें प्रोफेसर नारायण चन्द्र पराशर ने भी एक पालियामेंटरी कमेटी बनाने की तजवीज कही है । इसकी मैं ताईद करता हूं । आदिवासियों और माइनोरिटीज जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हैं, उनके बारे में क्या हो रहा है, जब तक यह कमेटी जाकर अपनी आंखों से नहीं देखेगी तब तक आप भरोसा नहीं करेंगे । आप शायद समझते होंगे कि जम्मू व कश्मीर में जो वहां की हकूमत है वह एक दूसरी पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं इसलिए हम मुखलफत बराये मुखालफत करते हैं । लेकिन यह बात नहीं है आप वहां जाकर खुद देख सकते है कि उनके एटीच्युड की वजह से लद्दाख के लोगों में किस कदर नाराजगी है और वहां पर लोगों में क्या जजबा है । वहां पर पिछली सर्दियों में, आपने सुना भी होगा कि काफी एजीटेशन हुआ था । वहां के लोगों के काफी शोर करने के बाद एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको अभी तक कश्मीर सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उस एरिये को शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया डिक्लेअर करने के लिए कहा था लेकिन हमें तो इस बात की कोई इत्तिला नहीं है कि वहां की सरकार ने हिन्द सरकार को क्या रिकमण्डेशन भेजी है, या नहीं भेजी है ? यह तो हमें पता लगना चाहिए और यह भी पता लगना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने रिकमण्ड किया है ?

इसी तरह से मैं उन लोगों के एटीच्यूड की बात करता हूं । जम्मू कश्मीर में लद्दाख एक सब से ज्यादा बेकवर्ड पहाड़ी इलाका है और सब से सेन्सिटिव पहाड़ी इलाका है। उस एरिये में बुद्धिस्ट्स माइनोरिटीज रहती है । जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है और बाकी जो हिन्दु हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं और दूसरे लोग हैं माइनोरिटीज में हैं उनकी नीयत कुछ इस तरह की है कि जो माइनोरिटीज कमीशन है, वह माइनोरिटीज के लिये बनाये गये हैं और जो बैकवर्ड लोगों के और शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के हाई पावर्ड पेनल्स हैं उनकी जुरिस्डिकशन उस स्टेट में न हो। वे आर्टिकल 370 को इस्तेमाल कर के उनकी जुरिसडिक्शन वहां ले जाने की इजाजत नहीं देते । वे कहते हैं हम को ये कमीशन नहीं चाहिए क्योंकि माइनोरिटीज कमीशन मुस्लिम्स के लिए बनाया गया है और हमारी स्टेट में मुस्लिम्स की मेजोरिटी है इसलिए हमें कमीशन की जरूरत नहीं है। इन हालात में हम जो माइनोरिटीज हैं और ज्यादा तर पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो इन की भलाई कैसे हो सकती है । मुझे उम्मीद है कि दूसरे इलाकों में ऐसा नहीं होगा । अगर यह है तब तो मैं यही कहूंगा कि पालियामेंट्री कमेटी बनाने के लिए जो तजवीज पराशर जी ने रखा है उसकी में पुरजोर ताईद करता

हूं और यह कहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी बना कर के सारे पहाड़ी इलाकों में भेजा जाए।

दूसरा सजेशन मेरा यह है कि ये जो हाई पावर्ड पेनल और माइनोरिटीज कमीशन हैं ये ओवरलेपिंग कर रहे हैं लिहाजा इन दोनों को मिलाकर एक बाडी बनाना चाहिए। इनको यह भी देखना चाहिए कि जो बैकवर्ड एरियाज में रहने वाले और पहाड़ी इलाकों में माइनोरिटीज के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनकी भलाई के लिए अच्छी तरह से कैसे देखभाल कर सकते हैं।

चेअरमेन साहब, अभी कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मैं चंद बातें कह कर खत्म करता हूं मैं प्रो० एन० सी० पराशर के रिजोल्यूशन की ताईद करता हूं और साथ-साथ मैं आनरेबल प्लानिंग मिनिस्टर से दुबारा अर्ज करता हूं जो फण्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है खासतौर से जम्मू-कश्मीर में, उसकी तरफ आपको देखने की जरूरत है। जब तक उस पर सही तरीके से निगाह नहीं रखेंगे तब तक पैसे का सही उपयोग नहीं हो सकता। जितना पैसा आप प्लान के लिए दे रहे हैं वह प्राइवेट लोगों की जेब में जा रहा है, । जो पार्टी वहां पर पावर में है, उनकी जेब में जा रहा है और सही काम में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसकी तरफ आपको देखने की जरूरत है।

[شری پی - نام گیال (لداخ) :

جناب چیئرمین صاحب - پروفیسر این - سی - پراشر صاحب نے جو ریزولیوشن پیش کیا ہے میں اس کے سپورٹ میں بولنا چاہتا ہوں - اس ایوان کے سامنے انہوں نے جو ریزولیوشن پیش کیا ہے وہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب کہ ہمارا ملک پھر ایک بار ہماری محبوب لیڈر شریمتی اندرا گاندھی کی لیڈرشپ میں ہر طرح سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوا چاہتا ہے - میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں ان کو پاسٹ میں کافی نیگلیکٹ کیا گیا ہے شاید ڈیلیبریٹلی نہ کیا گیا ہو کچھ مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں - میں ایسا سمجھتا ہوں کہ پہاڑی علاقوں میں روڈ کمیونیکیشن کا نہ ہونا سب سے بڑی دقت ہے جسکی وجہ سے انکی ترقی کی طرف آج تک کوئی توجہ نہیں دے پائے ہیں- اس لئے سب سے پہلے اگر آپ روڈ کمیونیکیشن کو روڈ-نیٹ ورک یا پلوں کو نہیں بناتے ہیں تو ان پہاڑی علاقوں کی کسی بھی طرح سے ترقی نہیں کر سکتے - لہذا سرکار کو چاہئیے کہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ دینے سے پہلے سڑکیں بنانا ہوگا - اگر روڈس ہونگی جب سڑکیں ہونگی تب جو دوسرے ترقیات کے کام ہیں جیسے انڈسٹری ہے ایگریکلچر ہے -واٹر سپلائی ہے ہیلتھ کے کام ہیں یا جو بھی کام ہیں ان کی طرف توجہ دے پاویں گے -

لہذا میں پلاننگ منسٹر صاحب اور فائننس منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ پہاڑی علاقوں کے روڈ کنسٹرکشن کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں -

[شری پی- نام گیال]

جناب والا ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا ہے - اب چونکہ آپ نے گھنٹی بجانا شروع کر دیا ہے اسلئے میں اپنی کانسٹی ٹیوینسی کی طرف آپکی توجہ دلانا چاہتا ہوں - پلاننگ منسٹر صاحب کو پتا ہے کہ جموں و کشمیر کو گاڈگل فارمولا اپلائی نہیں ہوتا ہے - اور جموں و کشمیر کے علاوہ کئی اور بھی اسٹیٹس ہیں جن کو یہ فارمولا اپلائی نہیں ہوتا ہے - جب یہ فارمولا بنایا گیا تھا تو خصوصی طور پر جموں و کشمیر نے سینٹرل گورنمنٹ کے سامنے یہ ریپریزینٹ کیا تھا کہ اگر گاڈگل فارمولے کو اپلائی کیا گیا تو جموں و کشمیر جو ایسی اسٹیٹ ہے جس میں زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے علاقہ زیادہ بڑا ہے لیکن پاپولیشن کم ہے کیونکہ اس فارمولے کے لحاظ سے جو پلان ایلوکیشنس ہیں جو فنڈس ہیں وہ نہیں مل سکتے ہیں- لہذا اس بنا پر اسکو اس کا حق نہیں مل سکتا ہے - اسکے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس بنا پر آج جو فنڈس ہماری اسٹیٹ لیتی رہی ہے بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں کی سرکار یہاں کی پاپولیشن کے اگمنسٹ اور اس علاقے کے ایریئے کو سامنے رکھکر پیسہ حاصل کرتی آئی ہیں - وہاں جا کر اسنے

دوسرا اسٹینڈرڈ اپلائی کرنا شروع کر دیا وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پاپولیشن کے حساب سے پیسہ خرچہ جائے- نتیجہ یہ ہوا کہ جو پہاڑی علاقہ ہے میری کانسٹی چیونسی لداخ سب سے بڑا علاقہ ہے اور میں نے کئی بار اس ایوان کے سامنے کہا ہے کہ ۹۷ ہزار اسکوائر کلو میٹر پر پھیلی ہے اور ہریانہ اور پنجاب سے تین گنا میری کانسٹی چیونسی اکیلی ہے اسکو کم پیسہ ملا ہے - وہاں پر پاپولیشن بہت کم ہے اور اسکیٹرڈ ہے - وہاں کی سرکار وہاں پر پاپولیشن کے بیسس پر پیسہ بانٹنا شروع کر دیا اور ایسا کرنے میں کچھ کمیونلزم ان کے ذہن میں آیا - ایسا مجھے کہنا نہیں چاہئے لیکن افسوس ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے - اور جان بوجھ کر انہوں نے یہ کیا کیونکہ کشمیر ویلی جو ہے وہ بہت زیادہ تھیکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے اور وہاں پر مجورٹی جو ہے وہ ہمارے مسلم فرقے سے تعلق رکھتی ہے - دوسرا علاقہ جو جموں کا ہے اور جو ایک بڑا ایریا ہے وہاں پاپولیشن کم ہے اور میجورٹی ہندوؤں کی ہے اور اس میں لداخ سب سے بڑا ایریا ہے - جو کہ ۲۱۳ جموں و کشمیر کے ایریا کا ہوگا - وہاں پر میجورٹی بودھوں کی ہے لیکن وہاں کی ہماری سرکار کا ذہن کمیونل ہے اور خصوصی طور پر جو اس وقت

سرکار وہاں پر ہے اس نے یہ کام کرنا شروع کیا - انہوں نے وہاں پر کمیونلزم کا ایک بیج ڈال دیا اور اب اس بیسس پر اور دوسرے پاپولیشن کو ایک بیس بنا کر انہوں نے وہاں پر پیسہ بانٹنا شروع کیا - نتیجہ یہ نکلا کہ جو غریب لوگ ہیں جو پہاڑوں کے بیچ میں رہتے ہیں دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں ان کو کچھ نہیں مل پایا اور جو شہروں میں رہتے ہیں ان کو ہی میکسیمم فائدہ ملا اور ابھی بھی مل رہا ہے -

یہ جو آنے والا چھٹا پانچ سالہ پلان ہے اس میں جموں و کشمیر کو ۱۰۰ کروڑ روپیہ دیا گیا ہے - میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح طور پر رقم کو استعمال کیا جائے تب تو یہ جو ۱۰۰ کروڑ روپیہ ہے یہ بھی کم ہے - لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ دن دہاڑے سرکاری خزانہ کو لوٹا جا رہا ہے پلان کی رقومات کو پراڈکٹیو سکیم سے ہٹا کر نان پراڈکٹیو سکیموں پر ڈالا جا رہا ہے- جس سے کہ انکی جیبیں زیادہ آسانی سے بھری جا سکیں-

یہ سارے نتیجے آپکے سامنے ہیں- ان حالات میں آپ پہاڑی علاقوں میں کیا کچھ کر سکتے ہیں - یہ جو گاڈگل فارمولا تھا وہ تو وہ یہاں سے لے کر لے گئے اور کہہ گئے کہ ہمیں پاپولیشن کے آدھار پر نہیں چاہئے لیکن وہاں پر جا کر کے اسکو پاپولیشن کے بیسس پر اپلائی کر رہے ہیں - میں پلاننگ منسٹر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں ایک کمیٹی مقرر کریں جو کہ ان سارے مسئلوں کو دیکھے -

اس میں پروفیسر نارائن چندر پراشر نے بھی ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز کہی ہے - اسکی میں تائید کرتا ہوں - آدی واسیوں اور سائڈورتھیز جو پہاڑی علاقوں میں رہنے والی ہیں انکے بارے میں کیا ہو رہا ہے جب تک یہ کمیٹی جا کر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تب تک آپ بھروسہ نہیں کریں گے - آپ شاید سمجھتے ہونگے کہ جموں و کشمیر میں جو وہاں کی حکومت ہے وہ ایک دوسرے پالیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اسلئے ہم مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں - لیکن یہ بات نہیں ہے - آپ وہاں جا کر خود دیکھ سکتے ہیں کہ انکے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے لداخ کے لوگوں میں کسقدر ناراضگی ہے وہاں پر لوگوں میں کیا جذبہ ہے - وہاں پر پچھلی سردیوں میں آپنے سنا بھی ہوگا کہ کافی ایجیٹیشن ہوا تھا - وہاں کے لوگوں کے کافی شور کرنے کے بعد ایک

[شری پی- نام گیال]

ایگریمینٹ ہوا تھا جس کو ابھی تک کشمیر سرکار نے امپلیمنٹ نہیں کیا ہے - اس ایریے کو شیڈولڈ ٹرائب ایریا ڈکلیئر کرنے کے لئے کہا تھا لیکن ہمیں تو اس بات کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہاں کی سرکار نے ہند سرکار کو کیا ریکمینڈیشن بھیجی ہے یا نہیں بھیجی ہے - یہ تو ہمیں پتہ لگنا چاہئے اور یہ بھی پتہ لگنا چاہئے کہ کس ڈھنگ سے ریکمینڈ کیا ہے -

اس طرح سے میں ان لوگوں کے اینٹھچھوڈ کی بات کرتا ہوں - جموں و کشمیر میں لداخ ایک سب سے زیادہ بیک ورڈ پہاڑی علاقہ ہے اور سب سے سینسٹو پہاڑی علاقہ ہے- اس ایریئے میں بدھسٹ مائنوریٹیز رہتی ہیں - جموں و کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے اور باقی جو ہندو ہیں سکھ ہیں کرسچین ہیں بدھسٹ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں مائنورٹیز میں ہیں - انکی نیت کچھ اس طرح کی ہے کہ جو مائنورٹیز کمیشن ہے وہ مائنورٹیز کے لئے بنائے گئے ہیں اور جو بیک ورڈ لوگوں کے اور شیڈولڈ کاسٹ اور شیڈیولڈ ٹرائبس کے ہائی پاورڈ پینلس ہیں انکی جورسڈکشن وہاں لیجانے کی اجازت نہیں دیتے - وہ کہتے ہیں ہم کو یہ کمیشن نہیں چاہئے کیونکہ مائنوریٹی کمیشن مسلم کے لئے بنایا گیا ہے اور ہماری اسٹیٹ میں مسلمس کی مجورٹی ہے اسلئے ہمیں کمیشن کی ضرورت نہیں ہے - ایسی حالت میں ہم جو مائنورٹیز ہیں اور زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں تو ان کی بھلائی کیسے ہو سکتی ہے - مجھے امید ہے کہ دوسرے علاقوں میں ایسا نہیں ہوگا - لہذا میں یہی کہونگا کہ پارلیمینٹ کمیٹی بنانے کے آگے جو پراشر جی نے رکھا ہے اسکی میں پر زور تائید کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اسکو جلدی سے جلدی بنا کر کے سارے پہاڑی علاقوں میں بھیجا جائے -

دوسرا سجیشن میرا یہ ہے کہ یہ جو ہائی پاورڈ پینل اور مائنورٹیز کمیشن ہیں یہ اوورلیپنگ کر رہے ہیں لہذا ان دونوں کو ملا کر ایک ہی باڈی بنانا چاہئے- انکو یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ جو بیک ورڈ ایریاز میں رہنے والے اور پہاڑی علاقوں میں مائنورٹیز کے لوگ ہیں شیڈولڈ کاسٹ اور شیڈولڈ ٹرائبس کے لوگ ہیں انکو بھلائی کے لئے اچھی طرح سے یہ کیسے دیکھ بھال کر سکتے ہیں -

چیئرمین صاحب ابھی کہنے کے لئے میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن میں چند باتیں کہہ کر ختم کرتا ہوں - میں پروفیسر این - سی - پراشر کے ریزولوشن کی تائید کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں آنریبل پلاننگ منسٹر سے دوبارہ عرض کرتا ہوں جو فنڈس کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے خاص طور سے جموں کشمیر میں اسکی طرف آپکو دیکھنے کی ضرورت ہے - جب تک اس پر صحیح طریقے سے نگاہ نہیں رکھیں گے تب تک پیسے کا صحیح اپیوگ نہیں ہو سکتا - جتنا پیسہ آپ پلان کے لئے دے رہے ہیں وہ پرائیویٹ لوگوں کی جیب میں جا رہا ہے جو پارٹی وہاں پر پاور میں ہے انکی جیب میں جا رہا ہے اور صحیح کام میں استعمال نہیں ہو رہا ہے اسکی طرف آپکو دیکھنے کی ضرورت ہے -

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Resolution and I promise that I will not take more than 10 minutes.

Amongst the backward areas, the hill region has special problems. It has additional importance of being the border areas, as suggested by the mover of the Resolution.

There are special features of these hill areas and, if we take into consideration the percentage of population, the percentage of area, the percentage of density of population of the hill areas *vis-a-vis* the State, we find that there is absolutely no development.

As far as occupation is concerned, as per the Census of 1971, about 75.8 per cent of the workers are engaged in agricultural pursuits. Because of limited availability of land, small holdings in these hill areas predominate. The statistics further show that 63.3 per cent of the rural household have a holding of less than 2.5 hectares. That is the position of these hill areas.

Pathways of development adopted in the past have resulted in an uneven distribution of benefits of economic growth as between the geographical areas and also between the socio-economic groups. It was in realisation of this phenomenon that certain specific target-group-oriented programmes were taken up. It is not that the Government did not take up any programmes. The programmes such as SFDA and MEAL were taken up in the Fourth and Fifth Plans. With these programmes, no development of these hill areas could be made.

I would request the hon. Minister to tell us as to how these programmes were implemented and what is the result of it.

Apart from these special programmes, the special programmes for drought-prone, desert and tribal area were also initiated. But in spite of these programmes, certain geographical areas present some very special ecological and socio-cultural features which, unless specifically taken into account, do not permit the present planning process and the schemes developed within it, to be of major assistance to them. The hill areas of the country belong to this category.

New thrust will have to be given while considering this particular problem. I would like to make a few

[Shri Bapusaheb Parulekar]

suggestions to the hon. Minister and, if at all a committee is to be appointed, to the members of this particular committee. The development of hill areas in the country cannot be undertaken in isolation from adjoining plains because in the hill areas, there are valleys and there are plains. With these hill areas, the fate of these valleys and plains is interwoven and their economy is closely inter-related. That aspect will have to be taken into consideration while planning for the development of these hill areas.

We also find from various reports that the hill areas influence, to some extent, the climate of plains and the hill areas contain the sources of catchments and watersheds of several major rivers which flow to the plains. Thirdly, these hill areas are abundant in forest, plant and mineral wealth. So, taking into consideration this mixture of plains' people and the people living in the valley, I feel that adequate programmes are to be evolved for the conservation and proper utilisation of resources in these areas. Otherwise, the problems of these areas cannot be solved and the economy of the plains would also be adversely affected.

I would also like to submit that there is another problem which is symptomatic of this aspect and that is the rapid siltation of dams and reservoirs. A reference to this point was made by Professor. There are also problems of floods, changes in agro-climatic conditions etc., and pressure from the employment market because of large-scale immigration of people particularly men coming from the hills. I come from an area which may not be called hill area but there are villages situated in Sayadri. In plains, my people are also facing some problems. They are migrating from this particular place.

My district is also famous in our country for bulk money order remittances. Probably this is the only part of the country where every month money orders totalling up to an amount of Rs. 1,80,00,000 are sent from persons staying in Bombay city. All these persons are residents in the hill areas. This shows the extent of migration.

Development of resources of this area is necessary in order that people living there reap the benefits accruing from modern science and technology.

According to me there is paramount need for evolving an integrated strategy for the development of hill areas based on sound principles of economy and ecology.

Besides the points already made by my esteemed colleagues in their speeches earlier, I may add that this area has to be protected from damage caused by soil erosion.

I would like to draw the attention of the Hon. Minister to the fact that care has to be taken and efforts will have to be made to preserve the forests in the particular area.

Even though the above points were already made by other Members and effective suggestions offered to them; those suggestions were not implemented.

I would like to draw the attention of the Hon. Minister to the scope for development of animal husbandry. A reference was made to these two Schemes in the 4th and 5th Five Year Plans. When I asked a question about the progress of the scheme for development of animal husbandry, a detailed scheme was given out and the progress achieved was mentioned. The progress mentioned in the answer as reported to have been made is not satisfactory.

Another factor which has to be taken into consideration is conservation and environment.

With all this, it will be absolutely necessary to take steps to get vital information for scientific planning, scientific methods and uptodate data.

I respectfully submit that taking into consideration the special situation, the border situation, the geographical conditions and the inter-woven relationship between the plains and the valleys, special attention will have to be paid to the points made by me.

With these words, I thank you very much. I once again support and congratulate the Professor for moving this resolution which highlights the problems of this area. The text of that Resolution would show that over all these 33 years with all the schemes that have been made for the development of this area, it still remains backward and still much remains to be done for its development.

श्री हरिश चन्द्र सिंह रावत : (अल्मोड़ा) अधिष्ठाता महोदय, मैं पाराशर जी का अहसानमन्द हूं कि इतना अच्छा संकल्प उन्होंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है और हमको एक अवसर दिया है कि हम आपके और सदन के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति से कुछ प्रार्थना कर सकें, कुछ कह सकें जिन्हें, यदि मैं अपने प्रान्त यानी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूं तो कह सकता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों के अन्दर विकास की शुरुआत करने वाले व्यक्ति है श्री नारायण दत्त, और सौभाग्य से हमारे पर्वतीय क्षेत्र के आज वह व्यक्ति देश के योजना मंत्री हैं और इंदिरा जी ने उनको भारत की प्रगति की रूप-रेखा बनाने का दायित्व सौंपा है मैं समझता हूं कि जो दिक्कत और अनुभव उनको अपने व्यक्तिगत जीवन में हुए है उनका लाभ निश्चित रूप से हमारे पर्वतीय क्षेत्रों को मिलेगा।

जहां तक मैं समझ पाया हूं देश के अन्दर जो कुछ मूल समस्यायें हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में उनसे लगी हुई समस्यायें तो है ही, कुछ ऐसी भी समस्यायें हमको विरासत में मिली हैं जो औरों के साथ नहीं है इसलिये हमें पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में एक विशिष्ट संदर्भ में सोचना पड़ता है शायद इसी कारण इंदिरा जी ने योजना आयोग में पहले पर्वतीय क्षेत्रों के लिये पृथक् सैल बनाया था। दुख की बात है कि जनता पार्टी के शासन काल में उस पृथक् सैल की कार्यविधि को नियंत्रित कर दिया गया और उसके साथ पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ दिया गया हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों के साथ होने से पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं पर विशिष्ट ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिये योजना विभाग में पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं के लिये विशेष सैल होना चाहिये ताकि उनकी समस्यायें उन्हीं के सन्दर्भ में सोची जा सकें और उन पर कुछ कार्यवाही हो सके। उसी तरीके से प्रान्तों को भी कहां जाना चाहिये जहां पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे वैस्ट बंगाल, असम, नोर्थ ईस्टर्न क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर आदि, यह सब प्रान्त अपने यहां योजना विभाग में हिल्स के लिये एक अलग सैल बनायें। उत्तर प्रदेश में ऐसा सैल नहीं है। मंत्रालय जरूर बना दिया गया लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। मंत्रालय तो योजनाओं को कार्यान्वित करता है जिनको प्रान्तों के योजना विभाग बनाते हैं वह सारे प्रान्त के संदर्भ में योजना तैयार करते है, पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में नहीं। और अगर प्रान्त के संदर्भ में बनी योजना को कार्यान्वित किया जायगा तो क्रियान्वयन और योजना बनाने में फर्क हो जाता है जो स्वभाविक है उस डिफरेंस को यदि हम सोचें तो कुछ ऐसी दिक्कतें खड़ी हो जाती

[श्री हरीश चन्द्रसिंह रावत]

है कि करोड़ों रु० खर्च करने के बावजूद भी हमको अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता।

हमारे पर्वतीय क्षेत्र, जहां की जमीन (मिट्टी) हर किलोमीटर पर बदलती हैं, यदि एक किलोमीटर एेल्कैलाइनिक सायल होती है तो दूसरी किलोमीटर पर दूसरी तरह की जमीन होती है, जहां जलवायु में दो, तीन किलोमीटर पर परिवर्तन आता है तो वहां पर कंसेप्ट आफ़ एरिया प्लानिंग को भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिये। वहां की प्लानिंग जिला मुख्यालय, ब्लाक हैडक्वार्टर पर बननी चाहिये और तब प्रान्त स्तर पर आये। तब क्रियान्वित हो तो ठीक रहेगा। इस तरह का प्रोसेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, और प्रान्तों का मुझे ज्ञान नहीं है।

माननीय पाराशर जी ने जो संकल्प रखा है उसमें उन्होंने कुछ जो प्रान्तीय सरकारों के करने की बात है उसके अलावा केन्द्रीय सरकार के दायित्वों की तरफ़ भी इशारा किया है। मैंने 1980-85 का ड्राफ्ट प्लान पढ़ा है इसमें आपने पिछड़े क्षेत्रों की जो परिभाषा दी है उससे हम सहमत हैं। लेकिन पिछड़े क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिये ताकि औद्योगिक विकास हो, उनके लिये जिन बिन्दुओं को आपने चिह्नित किया है उन पर कितनी कार्यवाही हुई है इसको भी आप देखें। ऐसे भी पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां आजादी के 32 साल बाद भी एक इंच रेल नहीं गई है। जहां रोड्ज नहीं गई हैं, वहां उन्नति, प्रगति कैसे आ सकती है और विकास की रोशनी कैसे जा सकती है? आपने कहा है कि रोड्ज को वहां डैवलप किया जायेगा, लेकिन इसके लिये जितना पैसा आप देते हैं वह इतना कम है कि यदि हम उसको मदानी क्षेत्र के हिसाब से सोचें, जितना मैदानों की रोड्ज और दूसरे-तीसरे ट्रांस्पोर्टेस की सुविधाओं पर आप खर्च करते हैं तो उसका प्रतिशत आधा भी नहीं बैठता है। इसके लिये धन बढ़ाने की जरूरत है। वहां रेल ले जाने की कोशिश करनी चाहिये। अगर रेलों की सुविधाएं पैदा नहीं कर सकें तो वहां तात्कालिक तौर पर ज्यादा राशि की व्यवस्था की जानी चाहिये और सेंन्ट्रल पूल में से और ज्यादा सहायता दी जानी चाहिये ताकि वहां हम रोडज का विस्तार कर सकें? ऐसी रोड्ज बना सकें जिससे. वहां का कच्चा माल बाहर आ सके और बाहर से कच्चा माल, वहां पर जिन ईकाइयों को हम स्थापित कर रहे हैं, उनको वह प्राप्त हो सके।

16 hrs.

पर्वतीय क्षेत्रों के लिये, जो भी हमारे केन्द्रीय संचार विभाग या और दूसरे-तीसरे विभाग हैं, उन सब को यह कहा जाना चाहिये केन्द्रीय योजना आयोग के द्वारा कि वह उनके लिये इतना धन मोहय्या करें कि वह सब सुविधाएं वहां विस्तृत हो सकें।

जंगल के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे दोस्त श्री परुलेकर जी ने जो कहा कि पर्वतीय क्षेत्र मैदानों की क्लाईमेट को प्रभावित करते हैं, मैं तो यह कहूंगा कि सारा गंगा और यमुना का मैदानों का इलाका पर्वतीय क्षेत्रों के जंगल पर अपना जीवन निर्भर करता है। लेकिन आज वहां की जिस तरह से उपेक्षा हो रही है, जिस तरह से प्रान्तों की सरकारें अपने विकास के दबाव में आकर पैसे के लिये वहां के जंगलों को काट रही हैं, उससे गंगा-यमुना के सारे मैदानों को एक प्रकार का खतरा पैदा हो गया है। अगर हमने प्रान्तीय सरकारों द्वारा जंगलों के कटान को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं

किया, चाहे सरकारी तौर पर उनका कटान हो रहा हो, या प्राइवेट कंट्रेक्टरों द्वारा, वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा उनका कटान हो रहा हो, तो मैदानों को बाढ़ की विभीषिका से रोका नहीं जा सकता, सूखे के प्रभाव से नहीं बचाया जा सकता और वहां के डैम्स को सिल्टिंग से नहीं बचाया जा सकता।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि हमारी धरती की क्षमताएं कितनी हैं, हमारे जल-स्रोतों में कितनी ताकत है, हमारी जमीन में किस-किस तरीके की उपयोगिता छिपी हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों का टैक्नो-इकनामिक सर्वे करवाया जाये और लैंड कपेबिलिटी का सर्वे कर पता लगाया जाये। अगर यह काम प्रान्त की सरकारें नहीं करती हैं, तो केन्द्रीय योजना आयोग अपने संसाधनों से वहां का टैक्नो-इकनामिक सर्वे करवाये ताकि वहां के विकास का काम योजनाबद्ध तरीके से हो सके।

हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में आज पेय-जल का संकट पैदा हो गया है। वहां पर लोगों को 5,5 और 6,6 किलोमीटर की दूरी से पेय-जल लाना पड़ता है। वहां के लोगों का एक-चौथाई श्रम पेय-जल लाने में व्यतीत होता है। मैं चाहूंगा कि योजना आयोग चाहे वर्ल्ड-बैंक से धन उपलब्ध कराये या किसी दूसरे-तीसरे साधन या एल० आई० सी० से ऋण ले या अपने साधनों से प्रान्त की सरकारों को पैसा दे और केन्द्रीय योजना आयोग इस बात की जिम्मेदारी ले कि 5,6 साल में योजनाबद्ध तरीके से वहां के पेय-जल की समस्या का निदान हो सके।

जो वहां के लोग हैं, उनकी उन्नति के लिये हमने सोशल एमिनिटी जैनरेट कर ली हैं। अब सोशल एमिनिटी के तौर पर सड़क, बिजली और दूसरी चीजें और चाहियें। लेकिन जब तक इनकम जैनेरेटिंग सैक्टर में काम नहीं होगा तब तक वहां के लोग माइग्रेट होकर मैदानों में आना नहीं छोड़ेंगे। इस समय पर्वतीय क्षेत्रों में यदि कोई लड़का हाई-स्कूल पास करता है तो वह नौकरी के लिये मैदानों में आ जाता है। आज भी इन क्षेत्रों में ऐसे ऐसे गांव हैं जहां कोई चिट्ठी नहीं पढ़ सकता है। वहां के लोगों को वहीं रोकने के लिये उनको वहां रोजगार प्राप्त हो सकें, लोग अपने पेट के सवाल को पहाड़ों में रहकर हल कर सकें।

पहाड़ों में पेट के सवाल को हल करने के लिए अगर हम वहां पर बड़े-बड़े उद्योग नहीं भी लगा सकते हैं, तो छोटे उद्योगों के क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहिए। इस बारे में प्रान्तों की सरकारों का दायित्व निर्धारित करना चाहिए। केन्द्र का इंडस्ट्रीज मंत्रालय कहता है कि हम पिछड़े हुए क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रबन्ध करेंगे, लेकिन वह प्रबन्धको केवल कागजों पर ही रह जाता है, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है।

16.06 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

इसके लिए जरूरी है कि प्रान्तीय सरकारें एक टाइम-बाउंड प्रोग्राम बनायें और टारगेट निश्चित करें कि इतने समय के अन्दर इतना औद्योगिकीकरण करना है। इसके अन्तर्गत वहां पर ऐसे एरियाज निर्धारित किए जायें, जहां औद्योगिक इकाइयों और काम्प्लेक्स स्थापित किए जा सकते हैं। वहां पर इलेक्ट्रानिक्स और दूसरी लाइट इंडस्ट्रीज को सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है।

[श्री हरीश चन्द्र रावत]

मुझे हिमाचल प्रदेश की बात ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में लाइट इंडस्ट्री के नाम पर भी पब्लिक सैक्टर तक में कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में भी रिजनल इमबैलेंसिज पैदा हो गए हैं । पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ भाग तराई का होता है और कुछ पहाड़ का होता है । यदि हम उन दोनों के बारे में अलग अलग इकाई के रूप में नहीं भी सोचते हैं, तो कम से कम विकास की आवश्यकताओं की दृष्टि से उनका पृथक पृथक प्लानिंग करना चाहिए तदनुसार धन भी खर्च करना चाहिए ।

उत्तर प्रदेश सरकार को पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय पूल से पैसा दिया गया । उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना भी कुछ पैसा लगाया । इस प्रकार 86 करोड़ रुपया इस काम के लिए रखा गया है। उसके लिए हम मंत्री महोदय के शुक्रगुजार हैं, हम इन्दिरा जी के शुक्रगुजार हैं । लेकिन वास्तविक अर्थों में 1980-81 में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के विकास के सम्बन्ध में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र की बात कहता हूं । मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को एक किलोमीटर भी नई सड़क दिखा सकूं, जिसको 1980-81 में बनाया गया हो । मैं उन्हें पेय जल या कोई भी दूसरी योजना नहीं बता सकता हूं, जिसका श्रीगणेश 1980-81 में किया गया हो । मैं उन्हें ऐसी कोई चीज बताने में समर्थ नहीं हूं, जिससे मैं उन्हें संतुष्ट कर सकूं कि 86 करोड़ रुपए की रकम में से उन्हें भी कुछ हिस्सा मिला है ।

योजना मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से जरूर पूछें कि आखिर उस 86 करोड़ रुपए का क्या हुआ । अगर केन्द्रीय योजना आयोग पैसा देगा, लेकिन, वह उस पैसे पर नजर नहीं रखेगा कि प्रान्त की सरकार उस का उपयोग कैसे कर रही है, वह यह मूल्यांकन नहीं करेगा कि प्रान्तीय सरकारों को जिन कामों के लिए पैसा दिया गया था, वे काम किए गए हैं या नहीं, तो मैं समझता हूं कि उस पैसे के दुरुपयोग की सम्भावना बनी रहेगी । इस पर कोई न कोई चैक अवश्य होना चाहिए । इसके अतिरिक्त केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों या प्रांतों की सरकारों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी काम करने हों, उनके बारे में व्यापक दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है ।

आज आसाम का पहाड़ अशांत क्यों है ? —इस लिए कि हम वहां के लोगों की विकास की भूख को शान्त नहीं कर पा रहे हैं । जब वहां के लोग देख रहे हैं कि कुछ इलाके बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं और वे बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं, तो उनमें असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है, और उस असंतोष का फायदा कुछ राष्ट्रघाती तत्व उठा रहे हैं ।

आज जिस तरीके से हमारे विरोधी दल के कई बड़े बड़े नेताओं का स्टेचर, कद, घट रहा है, उसी तरह हमारे पहाड़ों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जो कभी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, मगर आज सिमट कर स्थानीय स्तर पर आ गए हैं । वे स्थानीय विकास की भूख का गलत फायदा उठाने की कोशिश न करें । आज हमारे पहाड़ी इलाकों में जगह जगह ऐसी बात कही जाने लगी है।

कि हम आसाम बना देंगे । इन बातों को छुटपुट तरीके से कहा जा रहा है, मगर हम उन्हें साधारण तरीके से नहीं ले सकते, हमें उसमें गहराई से जाना होगा । इस बात का मूल्यांकन होना चाहिए कि इतने बरसों में पहाड़ों में क्या विकास हुआ है, हमारी राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत वास्तविक अर्थों में पहाडों में गया है, पहाडी क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल है और उसके संदर्भ में कितना पैसा खर्च हुआ है। माननीय सदस्य, श्री पराशर ने इन बातों की जांच क लिये एक पार्लियामेंटरी कमेटी बिठाने का जो बहुत अच्छा सुझाव दिया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं । माननोय योजना मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि जनता पार्टी के शासन काल में सारे हिन्दुस्तान की बिगड़ी हुई योजना जिस में सारी योजना के स्वरूप को उन्होंने बिगाड़ कर रख दिया था, उस को जिस तरीके से वह अच्छे रास्ते पर ले आए हैं, उसी तरह से हमारी भी उन से यह आशा है और हमारा जोर भी है कि इस बात के लिये कि वह पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिय अपेक्षित रूपरेखा बनायेंगे और पर्वतीय क्षेत्रों का समुचित विकास करेंगे।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री पाराशर साहब को धन्यवाद देता हूं कि वह एक बहुत जरूरी रेजोल्यूशन यहां लाए है । पहाड़ी क्षेत्र के बारे में एक कवि ने कहा है—

पाते हैं कुछ गुलाब चट्टानों में परवरिश,
आती है पत्थरों से भी खुशबू कभी-कभी ।

चौथी पंचवर्षीय योजना का एक पैरा मैं पढ़ कर सुनाता हूं आपको ।

"The development of hill areas in the country cannot be undertaken in isolation from the adjoining plains with which their economy is closely inter-related. Unless adequate programmes are evolved in the conservation and proper utilisation of the resources of the hill areas, not only the problems of these areas will continue to remain unsolved but the economy of the plains shall also be adversely affected."

हिमाचल के आंचल में मेरा क्षेत्र पड़ता है और एक गांव का उदाहरण देकर मैं पोजीशन बताना चाहता हूं कि पहाड़ों में हालत क्या है । मेरे अपने अम्बाला जिले में कम से कम 200 गांव ऐसे है जिनमें भोजपुर टीकर नाम का एक गांव है जहां हाई स्कूल नहीं, मिडिल स्कूल तक नहीं है, गांव में कोई सड़क नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, प्राइवेट डाक्टर भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है । तालाब जिसे कहा जा सकता है वह भी नहीं है, तीन जोहड़ हैं। एक जोहड़ ऊंची जाति के लिए है जो उसमें से पानी पीते है, एक हरिजनों के लिए है और तीसरा मवेशियों के पानी पीने के लिए है । अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। झाड़ फूंक और मंत्र यही इलाज अभी तक वहां चलता है । जब हालत सीरियस होती है तब उसको कहीं नीचे ले जाने की बात होती है और नीचे प्लेन तक जाते जाते वह दम तोड़ देता है । गर्मी के मौसम में जब वहां जोहड़ का पानी भी खत्म हो जाता है तो तीन किलोमीटर नीचे चश्मे से पानी लेने के लिए वह आते हैं । अन्दाजा लगाइये उस महिला का जिसके पास मिट्टी का घड़ा है, कांसे पीतल का बर्तन नहीं है, वह सिर पर उस घड़े को रख कर तीन किलोमीटर ऊपर पानी ले कर चढ़ता है, जरा सा उसका पांव कहीं हिल जाये और पानी सहित वह नीचे गिर जाये, फिर उसकी हालत का अन्दाजा लगाइए . . .

एक माननीय सदस्य : गला टूट जाता है।

श्री सूरजभान : जी, हां यही मैं कह रहा हूं कि घड़े के साथ साथ उसका गला भी टूट जाता है।

मैं समझता हूं कि इन इलाकों की हालत सुधारने के लिए आधार बदलने चाहिये जिसकी तरफ प्रोफेसर पाराशर जी ने इशारा किया था। मैदानी इलाके में 2 लाख रुपये में एक किलोमीटर सड़क बन जाएगी लेकिन पहाड़ी इलाके में तो उससे 1 फर्लांग भी नहीं बन पायेगी। यही आधार अगर आप पहाड़ों में भी रखेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। ये आधार आपको बदलने चाहिये। उसके लिए ज्यादा रकम का प्रावधान आपको करना चाहिये। डाक तार विभाग ने कुछ आधार बदले हैं लेकिन रेलवे ने बिलकुल नहीं बदले हैं। हिन्दुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक रेलवे नहीं देखी। मुझे अभी बम्बई जाने का मौका मिला, वहां के कम्प्यूटर्स ने मांग रखी है कि ट्रेन 6 मिनट के बाद आती है, तीन मिनट के बाद आनी चाहिये। मांग उनकी भी वाजिब है। लेकिन यहां करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कि अभी तक रेलवे की शकल भी नहीं देखी है।

जगाधरी से पौंटा साहब की रेलवे लाइन के लिए मैं बहुत अरसे से चिल्लाता आ रहा हूं। पाराशर साहब ने भी वह मांग रखी है। लेकिन कोई सुनता नहीं है। कहते है कि अनएकोनामिकल है। अनएकोनामिकल तो होगी जब आप का स्टैण्डर्ड यह रहेगा। इस स्टैण्डर्ड को बदलिए तभी जाकर हालत सुधरेगी।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं कि पहाड़ों में जो मैटीरियल मिलता है उसके लिए कारखाने पहाड़ों में ही लगाये जायें। सीमेंट के कारखाने आसानी से पहाड़ों में लगाये जा सकते हैं, कागज का कारखाना वहां आसानी से लग सकता है, जड़ी-बूटियां वहां बहुत मिलती हैं, दवाइयों का कारखाना पहाड़ों में लग सकता है, फ्रूट प्रोसेसिंग के कारखाने पहाड़ों में लग सकते हैं। यह वहां होना चाहिये। उसका लाभ मैदानों को भी होगा लेकिन पहाड़ में रहने वाले भी उसका लाभ उठा सकें, इतना जरूर होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : मैदान के लोग विरोध करेंगे।

श्री सूरज भान : कोई विरोध नहीं करेगा। मैं रहता हूं मैदान में ही हूं लेकिन मेरा एरिया जरूर उससे मिलता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अमीरों के लालच और गरीबों की जरूरत के कारण पहाड़ों का बहुत बड़ा जंगल कटता जा रहा है। अमीर अपनी लालच के कारण और गरीब अपनी जरूरत के कारण उसको काटते जा रहे हैं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिये। जब जंगल कटते जाते हैं तो मैदानों में बाढ़ आती है। पानी के रेजर्वयर्स में सिल्ट बढ़ता है और लैण्ड स्लाइडस होती है। इसलिए जब तक डिफारेस्टेशन समाप्त नहीं होगा और एफारेस्टेशन नहीं होगा तब तक यह हालत सुधरेगी नहीं।

सभापति महोदय, किसी पहाड़ की एक ऊंची चोटी होती है तो उसके नीचे खाई भी होती है। इसी किस्म का फर्क पहाड़ पर रहने वाले लोगों में भी है। उनमें कुछ तो बहुत अमीर हैं और कुछ बहुत गरीब हैं जिनको कि शायद इन्सान कहना भी ठीक नहीं होगा। सौभाग्य से मुझे पूरे भारतवर्ष में घूमने का मौका मिला है, मैं कहना चाहता हूं कि इस टेलीविजन

एरू में कुछ आदिवासी भाई ऐसे भी हैं जोकि कम्प्लीटली नैकेड रहते हैं। क्या किसी ने उनकी तरफ भी ध्यान दिया है? क्या वे जब एजीटेशन करेंगे तभी उनकी हालत सुधरेगी?

चूंकि समय कम है इसलिए मै दो तीन सुझाव ही देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि गारलैण्ड कैनाल (माला नहर) की बात हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि पहाड़ों के साथ-साथ वह बनेगी। पता नहीं वह कहां पर अटकी पड़ी है और क्या उसमें कमी है—इसको जरा देखा जाय। शायद कुछ विशेषज्ञों ने यह राय दी थी कि अगर कहीं पहाड़ टूट गया, तो सूखे में भी बाढ़ आ जाएगी लेकिन मैं समझता हूं इन चीजों का बन्दोवस्त किया जा सकता है और वह पानी जो कि आज हमारे देश में सैलाव लाता है उसको ऐसी कैनाल के द्वारा काम में लाया जा सकता है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हर डिपार्टमेंट में हिल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए एक सेल बनाया जाए और उससे कहा जा कि हर साल के आखिर में वह पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश करे कि उसने क्या-क्या किया।

तीसरी बात यह है कि पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में नार्थ ईस्टर्न रीजन में पौने चार करोड़ रुपये अनयूटिलाइज्ड रह गये। वेस्टर्न घाट और हिमालयन रीजन में भी 8 करोड़ रुपए लैप्स हुये। छठी पंचवर्षीय योजना में एमाउन्ट तो कुछ ज्यादा है लेकिन मेरी इससे तसल्ली नहीं है. नार्थ ईस्टर्न रीजन के लिये 340 करोड़ और हिमालयन के लिये 560 करोड़ है परन्तु सवाल यह है कि इसमें कितना लैप्स होगा? इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि आप इस किस्म की कोई मशीनरी बनायें जो हर साल बताये कि जो टार्गेट्स निर्धारित किये गये थे उनमें कितनी पूर्ति हुई है और कितनी नहीं हुई है वरना फिर आप अन्त में देखेंगे कि अमुक एमाउन्ट लैप्स हो गया।

आखिर में मेरा सुझाव यह है कि एक नेशनल बाडी बनाई जाये, अगर इसके लिये आपको संविधान की धारा (371) में कोई संशोधन करने की जरूरत हो तो वह भी कर लें, उसको हिल एंड बैकवर्ड एरियाज के डेवलपमेंट के लिये पूरी पावर्स दी जायें और वह इस दिशा में पूरी तरह से सक्रिय होकर अपना काम करे।

अन्त में मैं पराशर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उनकी जो मांग है कि एक पार्लियामेंन्टरी कमेटी बने जो सारे मामले को देखे, इसका मैं समर्थन करता हूं और मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे इसको मान लें क्योंकि इसको सारे सदन का समर्थन प्राप्त है।

श्री एन० ई० होरो (खूंटी): सभापति महोदय, पराशर साहब जो रेजोल्यूशन लाये हैं उसके लिये मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उनकी एक पार्लियामेन्टरी कमेटी बनाने की मांग को अगर योजना मंत्री मान लेते हैं तो इससे इस सदन की इज्जत भी बढ़ेगी और उन क्षेत्रों की प्रगति में भी तेजी आयेगी। विकास आइसोलेशन में नहीं होता है, इस बात को प्लानिंग

[श्री एन० ई० होरो]

कमीशन ने भी मान लिया है लेकिन दिक्कत यह है कि प्लानिंग कमीशन तो प्लान बनाता है, स्टेट्स भी प्लान बनाती है, पर प्लान के इंप्लीमेन्टेशन का जो काम है वह स्टेट्स करती है। कई स्टेट्स ने प्लानिंग की अवधि में ईमानदारी के साथ काम नहीं किया हैं। आज, जैसा कि यहां पर श्री सूरजभान जी ने कहा कितना ही रुपया प्लान पीरियड में लैप्स हो जाता है।

दूसरी बात आप विकास की एक इमारत बनाना चाहते है लेकिन उसके लिये आपके यहां कोई फाउंडेशन नहीं है। इसमें पैसा तो बर्बाद होगा ही। इसलिये पराशर साहब का जो रेजोल्यूशन है उसमें बहुत-साफ साफ कहा गया है कि आज आवश्यकता इंफ्रा-स्ट्रक्चर की है, विशेषकर पहाडी क्षेत्रों के लिये, जिसकी तरफ किसी की नजर उठी नहीं है। जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि श्री पराशर साहब के रिजोल्यूशन के अनुसार एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाये, उसे मंत्री महोदय स्वीकार कर लें। जैसा कि दस्तूर है नान-आफिशियल रिजोल्यूशन, उस पर मंत्री जी आश्वासन दे देते हैं और फिर वह विद-ड्रा कर लिया जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कम से कम इसको स्वीकार कर लें, तो एक बहुत बड़ा काम हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन में एक नया विचार आना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि इन 30–32 सालों में जो सेन्टर या स्टेट द्वारा गलतियां हुई हैं योजनाओं में, पहाड़ी क्षेत्रों के बैक-वर्ड रीजन्स को मूल समस्याओं को जो देखा नहीं गया है, उनको एक नये दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये। ऐसे-ऐसे उपाय किये जाने चाहियें ताकि विकास का काम आगे बढ़े, लेकिन यह पूरा का पूरा स्टेट के मातहत नहीं छोड़ देना चाहिये, इसमें सेन्टर की रिसपान्सिबिलिटी होनी चाहिये। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोग रहते है और ऐसे लोगों के उत्थान के लिये सेन्टर की जवाबदही होती है। सेन्टर यह नहीं कह सकती है कि इसको जवाबदेही उसकी नहीं है, स्टेट की है। ऐसा कह कर उनकी समस्याओं के समाधान से वह वंचित नहीं रह सकती है। इसलिए प्लानिंग कमीशन में एक नया दृष्टिकोण बनाना जरूरी है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं नये स्टेट की बात आती है और कहीं पर आन्दोलन की बात चलती है––इन सबके पीछे क्या है? कभी भी इनको मूल समस्याओं की ओर देखा नहीं गया है। जब कभी वहां पर लोगों द्वारा आवाज उठाई जाती है, तो सरकार के सामने ला-एंड-आर्डर की सिचूएशन हो जाती है। यह ठीक नहीं है।

आज के नान-आफिशियल बिजनेस में चार आईट्म्स है––एक प्रो० पराशर का है, जिस पर कि बहस चल रही है, दूसरे श्री अटल बिहारी वाजपेयी का है, तीसरे श्री के० पी० सिंह देव और चौथे श्री मूल चन्द डागा का है––यदि इन चारों रेजोल्यूशन्स को देखें तो लगता है कि सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि हमारे देश में ऐसे क्षेत्र हैं, जो उपेक्षित हैं। पहाड़ी क्षेत्र जहां कि मूल समस्या आर्थिक विकास की है, उस ओर हमारी नजर जानी चाहिये। इस प्रश्न को चार दिशाओं से देखा जा रहा है। यह बहुत बड़ी समस्या है, जिस को आजादी के 32 साल बीत जाने पर भी ठीक देखा नहीं गया है। पराशर जी का यह रेजोल्यूशन इस बात का सबूत है कि पार्लियामेंट

इन समस्याओं को हल करने के लिए कितना चिन्तित है और पूरा देश कितना चिन्तित है । आजादी के 32 साल बीत जाने पर भी हम पहाड़ी क्षेत्रों की मूल समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं । इस समस्या को सरकार की ओर से उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है, जिसका नतीजा है कि हिन्दुस्तान को बाहर से तो खतरा है ही, लेकिन अन्दर से भी खतरा पैदा होता जा रहा है। सरकार की ओर से जब कभी नार्थ-ईस्टर्न-रीजन के संबंध की बात आती है, तो कहा जाता है कि वहां अलगाव की स्थिति पैदा की जा रही है और अभी कुछ लोग कह रहे थे अपोजीशन के लोग उस क्षेत्र के लोगों को भड़का रहे हैं । यह असत्य है । यह कोई भड़काने वाली बात नहीं है। बात यह है कि सरकार ने उनकी मूल समस्याओं का समाधान नहीं किया है। जब वे अपने हक के लिये मांग करते है, तो उनको सिसेशनिस्ट कहा जाता है। तीन दशक से, प्रेजूडिस विचार से सरकार इस क्षेत्र के जन आन्दोलन को देखता आ रहा है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिये ताकि उनकी समस्याओं का सही समाधान हो सके। सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार की जो व्यवस्था है, वह इन पहाड़ी क्षेत्रों के हित एवं विकास के अनुकूल नहीं है । प्रशासन में जो लोग हैं, उनको इन क्षेत्रों के उत्थान के लिए नए ढंग अपनाना चाहिये ताकि उनका सही विकास किया जा सके। मैं ऐसा समझता हूं कि, कहीं भी यदि आन्दोलन हो रहा हो, नए स्टेट की मांग हो रही हो या नार्थ-ईस्टर्न रीजन के आन्दोलन ही हो, यह देश के टुकड़े-टुकड़े नहीं करेगा, बल्कि आप ही देश के टुकड़े-टुकड़े करेंगे यदि वहां के लोगों का उत्थान आपने ईमानदारी से नहीं किया। आंदोलनकारी अपनी मूल समस्या को देश के सामने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, पर सरकार उन को ऐसा नहीं करने देना चाहती है । सदन को और पूरे देश को गम्भीरतापूर्वक देखना चाहिये कि हम ने पिछले 32 सालों में क्या किया है और किस रास्ते पर चले हैं । योजना विभाग ने जो रास्ता निकाला है क्या वह रास्ता ठीक है ? प्लान के अन्दर बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही जाती हैं । प्लानिंग कमीशन योजना बना देता है, पैसा दे देता है, लेकिन उस के बावजूद ठोस काम नहीं हो रहा है । यह देखना चाहिये कि क्यों नहीं हो रहा है ? सच्चाई यह है कि स्टेट गवर्नमेंन्ट्स का प्रशासन यंत्र भी डवेलपमेन्ट ओरिएन्टेड नहीं है । राज्यों में कुछ ऐसे पाकेट्स है जिन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और कुछ बिलकुल नेग्लेक्टेड रहते है। जहां पर ज्यादा पोलिटीकल प्रेशर है उन का काम हो जाता है, दूसरों की उपेक्षा हो जाती है, जो अविकसित रह जाते हैं । आज इस विषय की ओर हम लोगों को एक नये दृष्टिकोण से देखना चाहिये ।

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र प्रो० नारायण चन्द्र पराशर ने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के बारे में जो प्रस्ताव रखा है मैं उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारे हिमालय का जो पहाड़ है वह बहुत ही पिछड़ा हुआ पहाड़ गिना जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो सारे हिन्दुस्तान की रक्षा करने के लिए हमारे पहाड़ ही काम आते हैं । आज हिमालय की चोटियां दरख्तों से खाली होती जा रही हैं। इन पहाड़ों पर से तमाम दरख्तों का कटान होता चला जा रहा है जिस से वे वीरान हो गये हैं । चाहे हिमाचल प्रदेश हो, काश्मीर हो, नागालैंड हो या यू० पी० के पहाड़ हों—एक सिरे से दूसरे सिरे तक दरख्त कटते चले जा रहे हैं।

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तान पुरी]

1975–76 में इन को रोकने के लिये जो कदम उठाये गये, उस के बाद 1977-78 में उस तरह की नीति नहीं बनाई गई जिस से कि पहाड़ों के जंगलों को बचाया जा सके ।

हमारे पहाड़ों के डवेलपमेन्ट के क्या साधन हो सकते हैं । हमारे ऊंचे पहाड़ों पर या जहां से हमारे नामग्याल जी आते हैं–पशु-पालन, भेड़-बकरी का व्यापार होता है । हमारे हिमाचल प्रदेश में किन्नोर; लाहोल, स्पीति–ये सब ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र हैं जहां भेड़-बकरी और पशुपालन का काम होता है । जो जिन्स, खाने के अनाज या दूसरी चीजें वहां जाती हैं, वे भेड़-बकरियों पर लाद कर ले जाई जाती हैं । न आज तक वहां सड़कें बनी हैं, न दूसरी सुविधायें हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं बनी, इस का क्या कारण है ? इस का एक कारण यह भी है कि वहां बर्फ पड़ जाती है जिससे काम ठप्प हो जाता है, टेक्नीकल सेक्शन्ज के लिये फाइल घूमती रहती है लेकिन काम कुछ नहीं होता । जब तक वहां के लोकल लोगों को काम में नहीं जुटाया जायगा, तब तक पहाड़ आगे नहीं बढ़ सकते । इसीलिये इस प्रस्ताव में कहा गया है कि हमें ऐसे काम वहां शुरू करने चाहिये जिस से उन लोगों को काम मिले, रोजगार मिले । एक ऐसा काम टूरिज्म का काम है, जैसाकि हमारे साथी ने अपने प्रस्ताव में अर्ज किया है । मैं समझता हूं कि पहाड़ों में टुरिस्ट काम्प्लेक्स बनाये जाये । टूरिस्ट लोग जो यहां पर आते हैं, वे हमारे पहाड़ों को देखना चाहते है । हमारे पहाड़ मैदानी इलाकों को ठण्ड से बचाते हैं । अगर पहाड़ों से लकड़ी यहां न आये तो यहां का काम नहीं चल सकता । पहाड़ों में डैम्ज़ बनते है, छोटे या बड़े डैम्ज़ पहाड़ों में ही बन सकते हैं, जिन से बिजली पैदा की जाती है, सिंचाई के लिये नहरों में पानी दिया जा सकता है, कोयले की बचत होती है, । ये हमारी नेशनल-प्रापर्टीज हैं जिन को प्रकृति ने हमें दिया है । शहरों में हड़तालें होती हैं कारखाते बन्द होते हैं–लेकिन इस तरह का वातावरण पहाड़ों मे नहीं है । वे लोग शान्तिप्रिय हैं, अमन से रहते हैं । बेकारी को शक्ल आप को पहाड़ों में देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी बस स्टेण्ड पर आप को कोई मांगता हुआ नज़र नहीं आयेगा ।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं–हमारी प्लानिंग बाडी में पहले कोई लाकड़ा वाला वाइस-चेअरमैन थे, उन्होंने हमारे पहाड़ों के लिये कुछ नहीं किया । अब हमारी सरकार ने चाहे हमारी हिमाचल की सरकार हो या केन्द्र में हो, इस तरह ध्यान देना शुरू किया है . . . ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please state what you want him to do for the hilly areas.

श्री कृष्ण दत्त : (सुल्तानपुरी) : मैं यह कहना चाहता हूं—आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश ऐसा पहाड़ी प्रदेश है जिस में रेलवे ज़ीरो है, एक किलोमीटर लाइन भी इस प्रदेश को नहीं दी गई है । हम लोग भी देश के नागरिक हैं और इसलिए हमारा भी हक बनता है । हम संसद में बोलते हैं और कहते हैं कि हमें रेलवे दो, पीछे तो कोई सुननें वाला नहीं था लेकिन अब तो हमारी प्रधान मंत्री जी हैं और प्लानिंग के जो मंत्री हैं, तिवारी जी, वे पहाड़ी इलाकों की क्या कठिनाइयां हैं, उसके बारे में सब जानते हैं और मैं समझता हू कि वे कुछ न कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए करेंगे । उनके लिए कुछ होना चाहिए ताकि वहां का विकास हो सके । इस देश में और जगहों पर उद्योग लग रहे हैं और सारा का सारा डेवलपमेंट मैदानी इलाकों में ही हो रहा है ।

आज आप यह देखते हैं कि फ्लड्स आते हैं । तो ये ऊपर से नीचे ही आते हैं। अगर पहाड़ों की तरफ़ ध्यान नहीं दिया गया तो इन को रोकना मुश्किल होगा। वहां पर पेड़ लगाने की बहुत जरूरत है और वहां पर जो राज्य सरकारें हैं, उन को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है ताकि पहाड़ी क्षेत्रों के अन्दर जो ग़रीब लोग रहते हैं, उन को कारोबार में लगाया जा सके, काम में लगाया जा सके। उन की आप को मदद करनी चाहिए ताकि वे छोटे-छोटे काम धन्धे कर सकें, छोटे-छोटे उद्योग लगा सकें। वहां पर चूने के पत्थरों का भंडार है। उससे वहां पर छोटे-छोटे सीमेंट के कारखाने लगाए जा सकते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में चूने के इतने भंडार हैं जिन का कोई हिसाब नहीं है। अगर आप को पहाड़ी क्षेत्रों की उन्नति करना है, तो वहां पर आप कारखाने दीजिए ताकि पहाड़ी क्षेत्रों के लोग आगे बढ़ सकें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपका जो नेशनल हाईवे है, उसको आप किन्नौर के आगे तक ले गये हैं, जो चाइना के बार्डर के पास है लेकिन चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे भरमोर हो और चाहे यू० पी० तथा दूसरे पहाड़ी क्षेत्र हों, वहां पर जो गांव के लोग हैं, उनको कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। उन देहातों में न सड़कें हैं और न बिजली, न पानी का कोई इन्तजाम है। ये सब सुविधाएं उन को मिलनी चाहिएं।

इस के अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ने सेबों और दूसरी चीजों के ले जाने के भाड़े बढ़ा दिये हैं। इसके अलावा जो पेकिंग केसेज होते हैं, जिनमें फल आदि ले जाए जाते हैं, उनके भाड़े रेलवे ने बढ़ा दिये हैं। मेरा कहना यह है सेब, केला, संतरा और अनाज आदि पर रेल भाड़े में छूट दी जाए। प्लानिंग कमीशन के मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि अगर पहाड़ों की उन्नति करना है, तो वे इस पर ध्यान दें ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग तबाही से बच सकें। वहां पर ओलावृष्टि हुई है और नियम 377 के तहत मैंने यह मामला उठाया था और यह बताया था कि हमारे इलाके में सरसों, चना और फल आदि की फ़सलें बिल्कुल तबाह हो गई हैं और अब वहां के लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनके पास अपने गुजारे के लिए कुछ नहीं बाकी बचा है। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि हिमाचल प्रदेश और दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में जहां-जहां ओलावृष्टि हुई है और लोगों का नुकसान हुआ है, वहां पर उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद दें और उनकी सहायता करें। इसके साथ ही साथ बिजली के उद्योग लगाने के लिए, बिजली का प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा रखा जाए। हमारे यहां के लिए 750 करोड़ रुपए की योजना थी लेकिन वह भी काट दी गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको बढ़ाया जाए और वहां पर रेलवे लाइन बनाई जाएं ताकि वहां के लोग आगे बढ़ सकें।

माननीय सदस्य श्री पराशर जो यह प्रस्ताव लाए हैं, उसमें इस सदन के सभी साथियों को अपना योगदान देना चाहिए। एक बहुत अच्छे टाइम पर यह प्रस्ताव लाया गया है और उसका समर्थन सभी को करना चाहिए।

हमारे यहां विमान सेवाओं के बारे में बात चली थी और हमारे मंत्री जी इस को मान गये थे क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार आ गई है वरना पहले इसको कोई मानने वाला नहीं था। मुझे उम्मीद है कि विमान सेवा से हिमाचल प्रदेश को

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी]

जोड़ा जाएगा जैसा कि और जगहों को राजधानी से जोड़ा गया है।

इस तरह से मैं यह कहना चाहूंगा कि टेलीविजन के मामले में भी हमारा हिमाचल प्रदेश पीछे है। वहां पर टेलीविजन और ब्रोडकास्टिंग का कोई सेन्टर नहीं है। जब भी हम इस के बारे में कहते हैं तो यह कहा जाता है कि हम इसको कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि 1982 तक वह लगा दिया जाए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां पर यह होना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं। जहां तक बैंकों की सर्विसेज का ताल्लुक है चाहे वह यूनाइटेड कमर्शियल बैंक हो या चाहे कोई और बैंक हो, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे लोगों को उनमें काम करने के लिए भेजा जाता है, जो वहां की बोली नहीं जानते जो वहां की भाषा नहीं जानते। वहां पर उन्हीं क्षेत्रों के लोगों को लगाना चाहिए। रोजगार में वे लोग पीछे हैं और पढ़ने में भी पीछे हैं, तो फिर वहां का विकास कैसे हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में 17 एसेम्बली कांस्टीटुयेन्सीज हैं, जिनमें तीन जिला हैडक्वाटरों पर चार कालेज हैं और बाकी जो जगहें हैं, वहां पर कोई कालेज नहीं है। आप वहां के लोगों की एजूकेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दें और दूसरी सहूलियतें दें जिससे कि हमारी स्टेट के बच्चे भी आगे बढ़ें। इसके लिए मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यू० पी० के पहाड़ी क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों और जहां-जहां भी पहाड़ी क्षेत्र हैं सब के लिए ज्यादा पैसा खर्च करें जिससे कि वहां के लोग आगे बढ़ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यही कहना है। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Mr. Deputy-Speaker, Sir: I wish to add my voice of support also to this Resolution. I am sure the House is grateful to Mr. Parashar for having introduced this Resolution. There are no two opinions here. We are all of one opinion. There seems to be no party division at all.

All of us are united in expecting, requesting and also exhorting the Government to go ahead with its plans for the development of the hill areas and to devise a proper constitutional as well as political machinery through which it would be possible for them to achieve good enough results, unlike the kind of results—or want of results till now, during the last 30 or 35 years after we achieved freedom.

In those days we had no freedom at all. There were many disciples of Mahatma Gandhi who went to many of these areas in order to cater to their needs, try to understand the lives of the people there and then to espouse their cause. But, unfortunately, after we have achieved freedom and after we have achieved some political strength and support, and gained the support of these people through elections, attention seems to have been diverted from developmental aspects to political aspects—so that some set-back appears to be there in the developmental work.

It is wrong to say that there has been no development at all. I for one can bear witness to the fact that there has been very great progress, because I used to carry on surveys of economic conditions, both directly by myself and also through so many of my followers and disciples working under the leadership of Mahatma Gandhi in many of the hilly areas in Tamil Nadu, Andhra and Orissa; and I was in touch with so many of these constructive workers who then

used to work in Himalayas and in Punjab from Adampur, and also in Gujarat and Maharashtra. But so much has got to be done; and it can be done not merely directly by the Central Government or through the local Governments, but also done more effectively, if we can somehow or other think of a political machinery wherein we would be able to get local Governments and the Central Government to cooperate with one another, and then work in unison. In fact, I think some of us were responsible in persuading the Congress Government itself in establishing what is known as the Ajmer-Merwar Development Authority some decades ago. The idea of that Authority was that this kind of developmental activities should not be left to the tender mercies of the local Governments, their politics and also the want of finances in their possession. There should be an independent Authority on which both the Central Government as well as the local Government would be cooperating with each other. They would be making their own budget, submit their budget to the local Government and Central Government, and ensure sufficient grants being given to them by these two Governments—and thus have enough money with themselves and then utilize it according to some plan that they would be making, subject to the overall plan that would be indicated by the Planning Commission. That kind of an Authority we have to think of, even now.

Now that you have given the Governor-status to most of these States—and they are having their own local or State autonomy—they are too busy with their politics. Therefore, such an authority is absolutely necessary which is independent of these rivallying political authorities and their political parties.

I would like to make one more suggestion for the consideration of the Ministry of Finance as well as the Planning Commission. Most of these areas are dependent upon imports for most of their essential commodities, necessities of every day life, apart from food. Now, in regard to all these, they are now obliged to pay excise duty in the same way as all others are paying. This hurts them very much. This encroaches upon their resources. So, careful thought has got to be given to the taxation structure so that they can be relieved from the burden of excise duty. In what manner, to what extent this can be done and how it can be done, we have to take care to see. We have also to see that non-hilly people who are from non-hilly area would not exploit the hilly people to the detriment of the national economy. This will have to be studied. To do all these things, you need a special authority.

Now how that kind of authority can be brought into existence? It can be brought into existence through a special legislation. All these things will have to be gone into by the Parliamentary Committee which has been suggested by my hon. friend, Mr. Parashar. Therefore, I am sure, the Government would do well in accepting the spirit of the resolution and then themselves giving some thought in their Cabinet as well as in other special committee to study these things and then coming forward before this House with their proposal as to how they would like to get this matter studied in all its aspects; whether it is only through the Committee of Members of Parliament that is suggested now or through a committee or a commission on which there would be Members of Parliament as well as representatives of the State Governments who would work together. Let us leave these important details to be decided by the Government. But certainly the Government would do well to respond to the universal atmosphere of consensus on the part of the House here that something should be done and that

[Prof. N. G. Ranga]

too very quickly and in an effective manner, in an alround constructive manner.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Pius Tirkey.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): I have a submission to make. We all want to participate in this important resolution. Therefore, time should be rationalised so that we can be allowed to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would very much like that every member shall not take more than five minutes.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi): There should be some time given to move my motion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now it is 4.45 p.m. The time allotted to this is over. But I would like to tell you that there are about 15 or 16 members more. There is a request from Vajpayeeji that his resolution is next.

SEVERAL HON. MEMBERS: Please extend the time also.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Therefore, is it the pleasure of the House to extend it by one more hour?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then we shall not extend it further.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: There has to be a solemn agreement and I would like to request my friends from the Treasury Benches that I must get some time to move my motion and the discussion can continue next time.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): We can speak for a few minutes more.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I should be allowed to move my motion.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: We can extend the time.

SHRI ATAL BIHARI VAJPYEE: It has to be moved today and I resist any attempt to shut out my motion. This is a non-official business and there has to be a gentleman's agreement.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Mr. Deputy-Speaker, I invite your attention to similar incidents that happened in the last session. Last time, when the resolution about the Presidential system was to be moved, an effort was made and that Resolution could not be moved. We resisted it. You were in the Chair at that time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not aware of that.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House has agreed to extend the discussion of this by one more hour. The whole difficulty is we cannot extend beyond 6 o'clock. Therefore, now from 4-45 we are extending the discussion by one more hour. I would request all Members to take only five minutes and let us complete it by 5-45 p.m.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am extending by one hour. But every hon. Member shall not take more than three to five minutes. This is the consensus of the House. The House has agreed to extend the time of discussion up to 5-45. One hour's extension is agreed. The discussion will continue. From 4-45 we have extended up to 5-45.

PROF. K. K. TEWARI (Buxar): You should take the consensus of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is the consensus of the House.

PROF. N. G. RANGA: This is such an important resolution. Most of the

people will not get an opportunity to speak.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: How has this suddenly cropped up? I do not want to say anything attributing any motive. But suddenly this has cropped up. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The discussion has been extended up to 5-45.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Everything has to be completed, including the Minister's reply. If you go by the majority view, (*Interruptions*) I am sorry to say now... (*Interruptions*) I am talking of the consensus of the House. Are they prepared to accommodate the minority view or not? (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: No, no. (*Interruptions*)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: My motion has secured the first place in the ballot. (*Interruptions*) They have already made up their mind. They will not allow it to come up. (*Interruptions*)

PROF. N. G. RANGA: You cannot dictate to the House.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: You are dictating, Rangaji. I am sorry. If that Resolution is important, my motion is also important. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, order please. Now, the House has agreed to extend the discussion upto 5-45 p.m.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Many more Members like Shri A. K. Roy and so many other Members have given their names, Mr. Vajpayee. Even if we extend the time for this Resolution, next time your resolution will come up. There is no question of your resolution being lost.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Am I allowed to move it?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not now. Next time. That is the rule.

AN HON. MEMBER: Is it a guarantee?

MR. DEPUTY-SPEAKER: No guarantee. That is the rule.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): He is only interested that it should not lapse.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: And you will repeat the same thing on the next day also. Your intentions are... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will read the rule. Direction 9A by the Speaker says:

> 9A: If time allotted for discussion of a part-discussed resolution entered in the list of business for a day is increased by the House or the Speaker and as a result thereof the next resolution entered in the list of business on the basis of the first priority obtained at the ballot is not moved on that day, the said resolution shall be set down as the first item for the next day allotted during the same session for private members' resolutions after the part-discussed resolution, if any.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: For that also, the discussion on the present resolution will have to be completed today. But if they want to extend it further...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Even then, you will have a chance to move.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Mr. Pius Tirkey.

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पाराशर जी ने जो संकल्प मूव किया है वह बहुत जरूरी था, इसलिये कि अभी देखा जा रहा है कि हिन्दुस्तान के पहाड़ी इलाको में ही समस्या उत्पन्न हुई है। जहां जहां पहाड़ी इलाके हैं वहीं समस्या उत्पन्न हुई है और विद्रोह देखा जा रहा है। इसका मूल कारण यह है कि वहां के रहने वाले ट्राइबल हैं और वह स्वाभिमानी हैं, उनके अपने रीति रिवाज, अपनी भाषा और अपना कल्चर है जिसको वह बनाये रखना चाहते हैं। किन्तु इस अवस्था का, हमारे संविधान द्वारा स्वीकार करते हुए भी, हमने उसका आदर नहीं किया, और यही कारण है कि जहां जहां जमीन उपजाऊ होती गई उनकी जमीनें छीनी गयी और वह ट्राइबल्स बेचारे बेघर होकर कंट्रेक्टर, बिजनेसमन और मनीलैंडर्स के गुलाम की तरह से रह रहे हैं। नागालैंड, असम, बिहार के क्षेत्रों में जो विद्रोह की भावना जग रही है या हर पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहा है, इसका मूल कारण ऐक्सप्लायटेशन है जो सरकारी कर्मचारियों के अत्याचारों द्वारा किया जा रहा है और इसीलिये विद्रोह हो रहा है क्योंकि ट्राइबल लोगों की समस्याओं को समझने में हमारा प्रशासन फेल हुआ है।

मैं 30 तारीख को चाइनाला गया था वहां करीब 30,000 आदमी, औरत, बच्चे, जवान, वकील, मुख्तार और टीचर्स सब शामिल थे, उन्होंने बताया कि यह शेड्यूल्ड एरिया है, पहाड़ी इलाका है और अंग्रेजों के जमाने से यहां का जो कामन ला है कि यहां पर पुलिसलैस सरकार चले, वहां गुंडे शासन व्यवस्था को चलाते थे, उनके पास रेवेन्यू और पुलिस की पावर थी और न्याय करने की भी पावर थी और सरकार जो रेवेन्यू उनसे कलेक्ट करती थी उसका कुछ हिस्सा उनको दिया जाता था। हमारे संविधान में शेड्यूल्ड एरिया के गवर्नर को कहा गया है कि हर वर्ष कितना डेवलपमेंट हुआ उसका हिसाब उसको देना चाहिये। लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ। इस ढील-ढाल के कारण से उस मीटिंग में करीब 30,000 ट्राइबल्स ने कहा हम हिन्दुस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट हो जायेंगे। ऐसा कह कर उन्होंने अपना रोष दिखाया क्योंकि हमारे हकों, जमीनों और जंगलो के हमारे अधिकारों को लूटने के लिये सरकार चेष्टा कर रही है, हमको इसको बचाना है और बचा कर रहेंगे चाहे उसके लिये जो कुछ भी करना पड़े। यह डिक्लेरेशन 30 मार्च को चाईनाला के बाजार में ट्राइबल लोगों ने किया। हमने उनके कामन ला, जो आदिवासियों का वे आफ़ लाइफ़ है उसको नहीं समझा, और समझने की चेष्टा भी नहीं की। उन्होंने बताया कि मिशनरी लोग आये जमींदारों के अत्याचारों से शेल्टर मांगने के लिये हम मिशनरीज के पास गये थे। किन्तु अभी भी वही लोग जो नेता बनकर, कंट्रेक्टर बनकर, पुलिस आफिसर बनकर, जो न वहां की भाषा जानते हैं, न कलचर जानते हैं, वह वहां प्रशासक हो गये हैं और अपनी ही नीति, अपने ही कानून उन पर लागू कर रहे हैं जिससे विद्रोह होता है। अगर समय पर सरकार ने चिन्ता नहीं की तो सारे देश के हर पहाड़ी क्षेत्र में ट्राइबल क्षेत्र में भारी विद्रोह हो जायेगा और उसको संभालना गवर्नमेंट के लिये कठिन हो जायेगा और हम सबके लिये वह सुख की बात नहीं होगी।

इसलिये मेरा सुझाव है कि आप इनको अपने रूप से पनपने क्यों नहीं देते? जहां जहां शिड्यूल्ड क्षेत्र हैं, जहां-जहां पहाड़ी इलाके हैं उनको एक जगह में लेकर उनको अपने ही तौर से पनपाने के लिये और तरक्की करने के लिये यदि

आप सहायता दें तो उससे लाभ होगा। उन्हीं के क्षेत्र के लिये उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेटर वहां लगाये जायें तब उनके समझ में आयेगा कि हमको कुछ दिया गया है, तभी इस क्षेत्र का समाधान हो सकता है।

इसके फिफ्थ शिड्यूल से मैं क्वोट करता हूं —

"Exploitation by contractors.

Apart from the policy and its psychological reactions upon the service personnel in the Forest Department, its implications produced other complications. The emphasis on realisation of maximum annual revenue placed in this policy has increased the importance of the contractor. The task of government has been no doubt rendered easy, but a large number of these contractors have become a source of uncontrolled exploitation for the traibals. The contractor has become a law unto himself. He has a pull with the officers in the Department. The tribal, who seldom knows the rules, is at his mercy. The contractor may give work to the villager or he may refuse to give it. He may purchase his commodities or refuse to purchase them. He interprets the rules in his own way. The contract system has operated as an undisguised monopoly in the last ten years... Reactions of the Tribals.

There is constant propaganda that the tribals are destroying the forest. We put this complaint to some unsophisticated tribals. They countered the complaint by asking how could they destroy the forest. They owned no trucks. They hardly had even a bullock cart. The utmost that they would carry away was head-load of produce for sale to maintain their family and that too against a licence"

सभी जगह समूचे हिन्दुस्तान में जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं वह नंगे होते जा रहे हैं और उसका दोष पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों का है। यहां यह स्पष्ट कहा गया है, दोष किस का है। इन कंट्रेक्टरों ने उनको बहाना देकर जब वहां से मूल्यवान लकड़ी रुपया कमाने के लिये इधर-उधर भेज दी है, इससे हमारे देश का जंगल उजड़ता जा रहा है और इस तरह से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

फिफ्थ शिड्यूल में कहा गया है —

"Scheduled Areas have been constituted with two clear and straightforward objections—one is to assist the tribals in enjoying their existing rights unhindered by others and the second is to develop the areas and promote economic, educational and social progress among Scheduled Tribes. In this scheme, protection of the interests of the tribals in land, protection against exploitation by moneylenders and priority in the allotment of land come first. The Constitution has vested powers in the Govenor to make regulations for the protection of the tribals but this power has been used very sparingly."

यह तो भारत सरकार की अपनी मान्यता है, उसका अपना कानून है। संविधान के छठे शिड्यूल में भी इस बारे में कहा गया है। यदि पार्लियामेंट इसको समादर दे और सरकार इस तरफ ध्यान दे, तो इस समस्या का उचित समय पर निराकरण हो सकता है। आज पहाड़ों पर रहने वालों की आत्म-गौरव की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि यदि उसने उस ओर ध्यान न दिया, तो हमारे लिए सुख के दिन नहीं, बल्कि बहुत विपत्ति के दिन आ रहे हैं।

17 hrs.

सरकार को समय रहते इस बारे में उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि पहाड़ी और ट्राइबल इलाकों की समस्याओं का सही मूल्यांकन कर के उनका सही समाधान किया जा सके, हर जगह समान रूप से डेवेलपमेंट हो और सब लोग अपने आप को हिन्दुस्तान के बड़े समाज के अंग मान सकें। आज तो हिन्दुस्तान में जात-पात की भावना व्याप्त है। जात-पात के आधार पर लोगों को सुविधायें दी जाती हैं, लोगों को कंट्रेक्ट दिये जाते हैं और सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां की जाती है। आज स्थिति यह है कि जिस व्यक्ति ने समूचे पहाड़ी इलाके में दारू की भट्ठियां लगा दी हैं, वह भी ट्राइबल्ज का रिप्रेजेन्टेटिव होकर पालियामेंट में आ गया है। ऐसे आदमियों से हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वे इन इलाकों की भलाई कर सकेंगे। वे तो एक्सप्लायटर्ज के नुमायंदे बन कर यहां आए है। अगर मंत्री महोदय समय रहते इन बातों की ओर ध्यान देंगे, तो शायद समस्या का निराकरण हो सकता है।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Sir, the hill areas in the north constitute a contiguous area, which is called *Sapta Sindhu,* the catchment area of the great rivers of the north. Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, the Union Territories of northeast India, hill areas of Assam, Bihar, West Bengal, UP, the Himalayan and sub-Himalayan areas, the Nilgiris in Tamil Nadu, the areas along the Western Ghats in Maharashtra, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu and the Union Territory of Goa, these areas are in a peculiar position. Therefore, they must be treated on a different footing and there must be a separate authority for developing them. Now there is a sub-plan for these areas in some States, but not in others. I would say that a special plan has to be formulated for all the hill areas and it must be administered by an independent authority.

The development of the hill areas is connected with the development of the plains which are adjacent to the mountainous areas. If the hill areas are not protected, there will be soil erosion and floods, which will affect the plains. The rivers and tanks will be silted up and there will be loss of lives and crops. Therefore, if we want to protect the plains adjacent to the hill areas, it is quite necessary for us to develop the hill areas. Almost all the hill areas have many resources, minerals and wood for starting many industries. Because of the denudation of forests, it is now becoming impossible to protect the hill areas. So, there should be afforestation.

We are celebrating this year as the Year of the Handicapped. Just as physically handicapped, there are geographically handicapped areas. These are the hill areas. When we compare the literacy, agricultural production, industry, irrigation, credit facilities, roads, railways, telecommuncation, drinking water, facilities etc., we have to say that they are very much backward when compared to other areas. Therefore, in all these respects these areas have to be developed.

Sir, it is quite necessary for us to control soil erosion in these hills. Better use of water and land must be made. Aforestation must be there. Hill pasture development must be taken up. Development of trees and plantation crops should be taken up. Small industries have to be started. There is much possibility of creating hydel projects. When we construct hydel projects in these mountainous areas in the north, I am quite confident that we can supply electricity to the whole of the country. Therefore, we must tap all this energy in the hill areas. It will provide work to lakhs of people in the country.

Sir, in these hill areas there is a possibility of raising orchards. For example, in Himachal Pradesh, nearly 67 per cent of the area is full of barren lands consisting of shrubs and lands not yet cultivated. Therefore, it is quite possible to raise orchards. At present in Himachal Pradesh the farmers have succeeded in raising apple gardens there and also in Jammu and Kashmir. Likewise in all hill areas in the north it is quite possible to raise these apple gardens and enrich our country.

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): Sir, this Resolution has given us an opportunity to examine our economic policies and the Five Year Plans and the achievements which they have given to our country. In this context if we look at the issue of backwardness of these regions, one thing is quite obvious on which this House is unanimous and that is, these areas deserve special consideration for speeding up the developmental activities. When we examine or evaluate our economic policies and the Five Year Plans of the past, one thing is quite obvious and that is, our economy is still a rural economy, an agricultural economy and the labour force is that of agricultural economy. What does it mean in the Indian context and the Indian economy? Acute poverty, unemployment and squalour is the net result. When this Resolution is being discussed here, the one thing we have to bear in mind, and many Members have very clearly expressed, is that the hill area cannot be treated in isolation from the plains. The ecology of these areas cannot be taken into consideration unless the total economy is taken into consideration. Therefore, the problems and the solutions are inter-related. If we examine the Fourth and the Fifth Five Year Plans, we find that many schemes were devised and crores of rupees were spent. As a matter of fact, an amount of Rs. 161 crores was spent—Rs. 78.5 crores by the Centre and Rs. 83.4 crores by the States. This Chapter has classified these areas as Western Ghats, North Eastern Council areas, Himalayan Region and so on.

During 1974—79, North Eastern Region was constituted by an Act of Parliament and was allotted only Rs. 90 crores. Out of it Rs. 86.67 crores were spent. I would like to know why it happened? I am happy to note that in the present Plan 1980—85 Rs. 340 crores have been earmarked for the development of this area. If you examine, for the Western Ghats region, during 1974—79 Rs. 170 crores only were earmarked. Out of it Rs. 162.65 crores were spent. Whereas in the present Plan 1980—85, Rs. 560 crores have been allotted for this area. If you examine the previous Five Year Plan, there is a lapse of a few crores of rupees. Those few crores of rupees have not been spent there. If that is the case what steps Government is going to take to see that the allotted amount is spent in this area for proper development? This is the first question that I pose before the hon. Minister.

The Sixth Five Year Plan has envisaged economic growth of 5.2. per cent. It intends or aims to reduce the poverty line from 48 per cent to 30 per cent. One of the salient features in the Sixth Plan is land reforms. I think Prof. Ranga will also join me in this remark—unless land reforms are made, these regions are not going to improve. In order to remove poverty and economic injustice of these areas, I stress this point. Land reforms should be speeded up in these areas.

10 per cent of the lowest strata of people do not own even 1 per cent of land there. That pricks our conscience, our concept of socialism, our concept of welfareism of this nation. Not even 1 per cent of the land is being owned by these people. Whereas 10 per cent of the population owns more than 60 per cent of the land! Should we allow this to happen? I say, no. I know this is a State subject. Therefore, the Centre has limit-

ed scope in this matter I agree with that proposition but can we allow this to continue?

Now I go to some facts and figures. As some people say statistics never bleed or smile, but they open our mind'. It is estimated by one account —5.32 million acres of surplus land are available. You are aware of the slow land reform in our place. According to this estimate 5.32 million acres are surplus land, whereas the National Sample Survey says 21.51 million acres of surplus land will be available if 1972 Ceiling Act is implemented. Upto this time declared surplus land is 4.04 million acres only. Out of it Government has taken only 2.10 million acres of land. Out of 2.10 million acres of land, the land actually distributed is 1.29 million acres. Not even 1|4th of this surplus land is distributed. If this is the attitude, if this is the step we are taking, I do not know how many centuries it will take to distribute the surplus land to landless people. It is said that 50 per cent of the surplus land is in three major States of Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan. This is a very serious matter, as far as the land reforms are concerned. That has to be looked into by the Planning Commission.

My second point is that landless class is increasing specially Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In 1961—71, in the case of Scheduled Castes, formerly, there were 343 and now they are 518 per thousand; in the case of Scheduled Tribes, formerly, it was 197 and now it is 330 per thousand. What is the position of cultivators of land? In the case of Scheduled Castes, formerly, it was 378 and now it is reduced to 279 per thousand. So also is the case of Scheduled Tribes. Formerly, it was 681 and now it is reduced to 576 per thousand. Where do these people go? That is the question before the House. They have to come down, because of their poverty and unemployment in the hills, to the plains. What is the net result? The plains are also congested. The problems are created rather multiplied, because of this inflow of unemployed and poor from the hills.

I am happy to note that in the Budget Speech of the Finance Minister of 28th February, 1981, the Government has taken serious note of this matter. The importance is given to agricultural sector. There are various programmes. There is a Speciall Hill Development Programme which is given Rs. 92 crores; National Rural Employment Programme—Rs. 180 crores; Integrated Rural Development Programme—Rs. 198 crores; Special Component Plan for Scheduled Castes and Scheduled Tribes—Rs. 110 crores; Scheduled Castes Development Corporations of States—Rs. 13 crores; and Tribal Sub-Plan—Rs. 85 crores. I may submit that the Government has now shifted its earlier policy towards agricultural sector, to these regions.

As far as drinking water facilities are concerned, they have allocated Rs. 110 crores and 36,000 villages will be getting water. As regards rural electrification programme, about 22,000 villages will be benefited by it.

In regard to these various programmes, my question is, what is the agency to evaluate these programmes and see the progress made and what are the measures that the Government have taken. Then, having the past experience of the failure of certain programmes, I want to know what are the new measures taken by the Government to see that these programmes are properly implemented and that the benefits are given to the deserving people of these aras.

With these words, I congratulate my hon. friend, Prof. Parashar, for bringing this Resolution before the House. Thank you.

श्री जगपाल सिह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प प्रो० पराशर जो द्वारा सदन में विचार के लिए प्रस्तुत हुम्रा है, मैं समझता हूं कि यह उतना

ही महत्वपूर्ण है, जितना कि हिन्दुस्तान के बैकवर्ड माइनोरिटीज की समस्या पर विचार करना है। हिन्दुस्तान में जिस तरीके से अनटचेबल्स का एक अलग तबका है, उसी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी लोग हैं, जिनके साथ पिछले 32 सालों से वही व्यवहार किया जा रहा है जो हिन्दुस्तान के अनटचेबल्स और दूसरे बैकवर्ड तथा शैड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ हुआ है। यह मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि जितनी भी योजनायें बनी हैं उन सभी योजनाओं के प्रारूप को देखकर हिन्दुस्तान के आदमी यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के बारे में कभी भी सोच-समझ कर योजना नहीं बनाई गई। आप हिन्दुस्तान के किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइये, वहां पर रहने वाले लोगों का जीवन-स्तर बड़ी सुलभता से देखने को मिल सकता है। मैं खास तौर से अपने योजना मंत्री जी का ध्यान इस तरफ़ दिलाना चाहता हूं—आप योजना बनाते वक्त जो करोड़ों लोग हिन्दुस्तान के पहाड़ों में रह रहे हैं उनके बीच में जा कर देखिये। उनके यहां आजादी की रोशनी आज तक नहीं पहुंची, जीवन के कोई साधन उनके पास दिखलाई नहीं देंगे, तन ढकने के लिये कपड़ा नहीं है, शिक्षा के लिये स्कूल नहीं है, चिकित्सा के लिये दवायें नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं।

पार्लियामेन्ट का सदस्य बनने के बाद मुझे अनेक पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने का अवसर मिला है। मैंने स्वयं उन क्षेत्रों में देखा है कि उनके पास जीवन का कोई साधन नहीं है, बल्कि सरकार ने आज तक कोई साधन मुहिया ही नहीं किया है। मैं इस अवसर पर खास तौर से रांची के पहाड़ी क्षेत्र का उल्लेख करना चाहता हूं। वहां की नौजवान लड़कियों के पास तन ढकने के लिये कपड़ा नहीं है, किसी तरह से अपने स्तन तक के भाग को आगे से ढके रहती हैं, उनके पास जमीन नहीं है, दुकान नहीं है, कोई जायदाद नहीं है। जो क्रिश्चियन मिशनरी उनके अन्दर पहुंचे हैं उन से उनको थोड़ी बहुत रोशनी मिली है, वरना सरकार की तरफ़ से या हिन्दुस्तान के किसी भी धर्म के ठेकेदारों की तरफ़ से उनके लिये कुछ नहीं किया गया, कोई रोशनी या सभ्यता नाम की चीज उन तक नहीं पहुंची है। इसीलिये वे ईसाई बनते जा रहे हैं। आप ने उनके लिये सड़कें नहीं बनाई, उनकी खेती के डवेलपमेन्ट के लिये कोई योजना नहीं बनाई, सिंचाई के साधन मुहिया नहीं किये, शिक्षा के लिये स्कूल नहीं खोले, इसीलिये आज उनके अन्दर असन्तोष पनप रहा है। काश्मीर से लेकर कलकत्ते तक या नार्थ-ईस्टर्न भागों में जो आदिवासी या गिरिजन रहते हैं—आज उनके अन्दर असन्तोष है, आक्रोश है, वे ज्यादा दिनों तक दबाये नहीं जा सकेंगे। इसका एक ही रास्ता है कि आप उनके विकास की तरफ़ ध्यान दें। अभी तक आप हिन्दुस्तान के मैदानों को प्रायोरिटी देते रहे हैं। आप करोड़ों रुपया एशियन गेम्ज पर खर्च करने जा रहे हैं, विदेशी पैसा लेकर खर्च कर रहे हैं—ऐसे खर्चों के स्थान पर आप हर पंच वर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर पैसा लगायें। उन को शोषण से बचाने के लिये, उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिये, उनके विकास के लिये योजना बनाइये। हमारे तिवारी जी भी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। मैं भी, श्रीमन्, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उन्होंने यहां आकर अभी तक अपनी योग्यता का परिचय नहीं दिया है। चूंकि वे खुद भी उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इसलिये मैं उनसे अपील करूंगा कि वे उन क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष योजनायें बनायें।

[श्री जगपाल सिंह]

अभी तक आप उन क्षेत्रों में अस्पताल नहीं पहुंचा पाये हैं, शिक्षा के साधन नहीं दे पाये हैं—मैं पूछता हूं आपने क्या साधन उनको दिये हैं? मैदानी लोगों की सुविधायें आप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि उनके पास लकड़ी के जो थोड़े-बहुत साधन हैं उनको भी मैदानी लोग शोषण करके ले आते हैं, एक तरह से उन का पैसा और परिश्रम दोनों खींच कर मैदानों में ले आते हैं। इसलिये मैं अपील करना चाहता हूं—यदि आप उनके विकास की तरफ़ ध्यान देंगे तो फिर मैदान के लोगों को उनके शोषण का मौका नहीं मिल सकेगा। आज ऋषिकेश में बसा हुआ व्यापारी वर्ग किस तरह से पूरे पहाड़ों का शोषण कर रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप उन क्षेत्रों में जाकर देखिये—10-12 साल के बच्चे लकड़ियां काट कर सिर पर लाद कर सड़कों के किनारे आकर खड़े हो जाते हैं, दो रुपये या डेढ़ रुपये में बेच कर चले जाते हैं—बस वही उनकी आमदनी का साधन है। जो चीज वे पैदा करते हैं उसके सही मूल्य की कोई गारन्टी उनके पास नहीं है।

मैं एक और उदाहरण देता हूं—हमारे यहां लाख पैदा होती है जिस को हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों में रहने वाले आदिवासी पैदा करते हैं। आज कहा जाता है कि दुनिया की लाख की खपत का 60 प्रतिशत हिन्दुस्तान में पैदा होता है। आज तक आप की सरकार उनको यह गारन्टी नहीं दे पाई कि उनको उनके लाख की सही कीमत मिल सके। लाख दो, ढाई और तीन रुपये किलो यहां के व्यापारी उन से छीन लेते हैं और सफ़ाई करने के बाद उसका एक्सपोर्ट 40, 45 रुपये प्रति किलो करते हैं। इस तरह से यहां के व्यापारी उनके परिश्रम का शोषण कर रहे हैं और उनके खून-पसीने की कमाई को चूस रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो इस प्रकार के लाख के क्षेत्र हैं, क्षेत्र के हिसाब से उनकी जीवनचर्या के लिए जो भी साधन हो सकता है, उसी साधन को प्राथमिकता देकर, आप उनके सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास करें। तभी यह असमानता खत्म होगी। पहाड़ी क्षेत्रों को अपनी योजना में आप प्राथमिकता दीजिए वरना मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में सब से बड़ा आक्रोश, सबसे बड़ा गुस्सा, इस सरकार के प्रति नफ़रत का जो है, तो वह इन्हीं इलाकों में है, जिन इलाकों के लोगों ने आज तक कभी गाड़ी नहीं देखी, जिन इलाकों में यदि आप, योजना मंत्री जी, चले जाएं, तो वहां के आदमी आपका उतना असर मानने वाले नहीं हैं, जितना कि वे वहां के एक पटवारी का मान सकते हैं। यह चीज आज भी उनके जीवन में आप देख सकते हैं।

माननीय योजना मंत्री जी, आप जाइए उन इलाकों में तो देहरादून के ऊपर का जो इलाका है, वहां पर आज भी बहुपति प्रथा है। आज भी मैदान का आदमी वहां जाकर उनके शरीर को खरीदने में कोई देरी नहीं लगाता। ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि वह जानता है कि यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जिस क्षेत्र में अपनी बीवी के प्रति, अपनी बहन के प्रति और आपनी बेटी के प्रति सम्मान की भावना नहीं जग पाई है, आप मैदान के अदमी से पूछिये कि उन क्षेत्रों में जाकर वह उन का कितना शोषण करता है। उनकी लड़कियों के बारे में वह ऐसी राय रखता है। मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में उनकी लड़कियों के साथ सस्ते दामों में चाहे जैसा व्यवहार कर लो, लेकिन बीबी को

बद-नजर से वे नहीं दिखाना चाहते। आप समझिये कि ऐसा स्तर है उन पहाड़ी क्षेत्रों का। वे अपनी लड़कियों के प्रति आदर और सम्मान की भावना नहीं रखते। इससे ही आप उनके पिछड़ेपन का अन्दाजा लगा सकते हैं। इसलिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप अपनी योजना में इन्साफ़ के लिए, जस्टिस के लिए, मानवता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इन पहाड़ी क्षेत्रों में आप सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तभी जो हिन्दुस्तान का सही नकशा है, वह हमारे सामने आएगा। वे लोग जो अंग्रेजों के जमाने में जानवरों से बदतर, बिल्ली और कुत्ते से बदतर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, आज 33 साल की आजादी के बाद भी उनकी स्थिति वही है। वही स्थिति आज भी है। आज भी मैदान के व्यापरी उनका शोषण करते हैं और इतना ज्यादा शोषण करते हैं जितना अंग्रेजों के शासन में भी नहीं होता था।

अन्त में मैं यह अपील अपने योजना मंत्री जी से करूंगा कि वे योजना में पहाड़ी क्षेत्रों को प्राथमिकता दें। आप यह समझिये कि हिन्दुस्तान का वह जो आदमी हैं, उसमें भी दिमाग है, उसमें भी जोश है और वह भी लड़ना जानता है और ज्यादा दिनों तक आप उन को नहीं दबा पाएंगे और एक दिन वह आएगा कि जिस तरह से नागा, मीजो, कूकी गिरीजन और नक्सेलाइट व्यवहार कर रहे हैं उसी तरह से ये लोग भी व्यवहार करने लगेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले एक दिन अपने हक के लिए खड़े होंगे और एकजुट होकर न्याय को प्राप्त करेंगे चाहे रास्ता कोई भी हो।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Ramavatar Shastri.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रो० नारायण चन्द पाराशर ने जो संकल्प रखा है .. (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am going to give chance to all the Parties. From his Party he is the only Member who is speaking.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: He has nothing to do with the hills.

श्री रामावतार शास्त्री : क्या हिल वाले ही इस पर बोलेंगे। मामला महत्वपूर्ण है और एक राजनीतिक दल में होने के कारण मुझे समय मिलना ही चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Vajpayee, do not say like that. He is 'Ramavatar'; he has something to do with those beings, with Hanumans, who are living in the hills.

श्री रामावतार शास्त्री : (येस-यँस। उपाध्यक्ष जी, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और प्रो० नारायण चन्द पाराशर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह के सवाल को यहां पर उठाया मैं इन को और ज्यदा धन्यवाद देता, अगर दो-तीन बातें और वे इस में जोड़ देते। जितनी बातों की चर्चा इस में है, वे बिल्कुल सही हैं। आज हमारे देश का जो पहाड़ी अंचल है, उस की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। इस के बारे में बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नही है, यह स्वयं-सिद्ध है। तो मैं यह कहता हूं कि पहाड़ी अंचलों में पहाड़ी लोगों को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए साधन मुहैया कीजिए। कुछ साधन देने की चर्चा इस में है ---जैसे उद्योग धंधे बढ़ाना और सड़कें बनाना। उनको और दूसरे साधन भी चाहिएं जो कि आज की सामाजिक सभ्यता में विकास करने के लिए आवश्यक

[श्री रामावतार शास्त्री]

होते हैं। इन सब बातों के अलावा भूमि सुधार बहुत ही अति आवश्यक है। आज हम भूमि सुधार की बात करते हैं और इस सिलसिले में कुछ किया भी गया है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, जंगलों में भी सूदखोर, महाजनों के चंगुल में आज भी पर्वतों के लोग फंसे हुए हैं।

मैं बिहार की बात करता हूं। वहां रांची, संथाल परगना, हजारी बाग, पलामु पहाड़ी क्षेत्र हैं। यह छोटा नागपुर क्षेत्र है। यहां पर्वतीय लोग काफी संख्या में रहते हैं। अगर आप उनको जमीन नहीं देंगे या जो जमीन उनके पास है वह सूदखोरों के चंगुल में जाने से नहीं बच सकेगी तो जाहिर बात है कि उनके जीवन में सुधार आने में दिक्कत होगी। इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

दूसरी तरफ उन्होंने जिक्र किया कि जंगल सरकार का है। हम तो इसका समर्थन करते हैं। लेकिन आदिवासियों के कुछ परम्परागत अधिकार जंगलों पर रहे हैं उन्हें उन अधिकारों से आप महरूम कर रहे हैं। आप उनके उन अधिकारों की रक्षा कीजिए। वे खाना पकाने के लिए, घर बनाने के लिए लकड़ी लेते हैं वह भी आप लेने नहीं दे रहे हैं। जो कुछ वे साधन जुटा कर अपना जीवन बिताते है उसमें भी कठिनाई पैदा की जाती है।

शिक्षा की स्थिति भी आप जानते हैं। आप जो भी इस मद में मदद देते हैं वह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा धन देने की जरूरत है। हरिजन, आदिवासियों को जो छात्रवृत्ति आप देते हैं वह कहीं आठ रुपये है, कहीं 12 रुपये है। कालेज में तीस-चालीस रुपये देते हैं। क्या इतनी राशि से वे अपनी शिक्षा का काम चला सकेंगे?

आदिवासी महिलाओं की क्या स्थिति है? उनको अपना शरीर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। अभी आज ही के इकोनोमिक टाइम्स में और बिहार के अखबारों में यह खबर निकली है कि पर्वतीय इलाके में ए० आई० टी० यू० सी० के पूर्णेन्दु मजूमदार और मित्र जोको ने बिहार के मुख्य मंत्री को ज्ञापन दिया है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। वहां की औरतों के साथ किस तरह से रखैल की तरह व्यवहार किया जाता है और उन्हें रखैल के रूप में रखा जाता है। कानून ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाता। उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। उनकी आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक ये सारी स्थितियां संकटापन्न है। ये सारी बातें उन इलाकों में जाने से पता चलती हैं। आपको इन पर ध्यान देना होगा।

लेकिन इन सब चीजों का हल कैसे निकलेगा, आज मैं यह सवाल उठा रहा हूं। इन पहाड़ी इलाकों के लोगों पर दूसरे लोग राज बना कर आसन जमाये हुए हैं। गैर-आदिवासी बहुमत में हैं और उनके नेतृत्व में आदिवासियों का उत्थान कैसे हो सकेगा, यह प्रश्न आज उठ रहा है और बिहार में भी यह उठा हुआ है। बिहार में यह मांग उठ रही है कि आदिवासियों के जो सटे-पटे इलाके हैं जिनमें आदिवासियों का बहुमत है, उन क्षेत्रों को मिला कर एक राज्य बनना चाहिए। उसका नाम आप झारखंड रखें या कोई और नाम रखें। किसी नाम से कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। यह एक बुनियादी सवाल है। अगर इस पर नहीं सोचा गया, केवल मलहम पट्टी की गयी, पैबंद लगा दिया गया तो यह बात ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है।

हमारे सूबे में ये विचार प्रतिदिन उठ रहे हैं। मैं भी उन लोगों में हूं और हमारा दल भी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बिहार की कम्युनिस्ट पार्टी भी उन लोगों में है जिन्होंने यह मांग की है कि जो कन्टीगुग्रस एरिया है, संथाल परगना, रांची जिले के इलाके हैं उनका एक अलग राज्य हो जिसमें आदिवासियों का बहुमत हो। गैर-आदिबासियों का बहुमत नहीं होना चाहिये क्योंकि गैर-आदिविासियों के बहुमत वाले राज्य तो अभी भी हैं। इसलिये अगर उनके लिये अलग राज्य बना दिये गये और उनमें गैर-आदिवासियों का बहुमत रहा तो जितनी बातों की चर्चा प्रोफेसर साहब ने अपने संकल्प में की है, उन बातों को हम पूरा नहीं कर सकेंगे। आप देखें जमशेदपुर में—वहां पर टाटा जमींदार है। वहां पर टाटा की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते। उसकी अनुमति के बिना वहां पर मकान नहीं बना सकते, स्कूल नहीं बना सकते वहां पर बिहार सरकार के स्कूल नहीं चलते, सारे टाटा के स्कूल चलते है, अस्पताल नहीं बन सकते, सब चीजें टाटा की मरजी पर चलती है। वहां पर भी अगर इसी प्रकार से गैर-आदिवासियों का बहुमत रहा तो टाटा और इसी तरह के इजारेदार पूंजीपति आदिवासियों पर और गैर-आदिवासी किसानों, गरीबों और मजदूरों पर जुल्म करते रहेगे, हमें ऐसे राज्य नहीं चाहिये। हमें ऐसे राज्य चाहिये जहां भाग्य का फैसला करने का अधिकार आदिवासियों के अपने हाथ में हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये एक गुलामी से छूटकर दूसरी गुलामी में चले जायेंगे और वे जहां थे वहां रहेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आदिवासि बाहुल्य वाले राज्यों की स्थापना की जानी चाहिये। हमारे छोटा नागपुर के इलाके में बहुत कारखाने बन रहे हैं, जमशेदपुर में बन रहे है, बोकारो में बन रहे है, हटिया, रांची में बड़े-बड़े करखाने बन रहे हैं, लेकिन इनमें जमीन किसकी गई आदिवासियों की। इसके लिये आदिवासी नौकरी मांगते है, मुआवजा मांगते है, वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिये कहते है, पूछते है कि हम कहां रहें तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। अभी गुआ के आदिवासियीं पर गोलिया चलाई गई इस तरह के अधिकार मांगने पर और 11 आदमी मारे गये। इसी तरह से कई जगहों के नाम बताये जा सकते है, जहां इस तरह की चीजें हो रही है। उनको आगे बढ़ने के लिये पूरे पूरे अवसर नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आ रहा है। उनको अपने पांव पर खड़ा करने के लिये झारखण्ड राज्य की स्थापना की जाये और वह आदिवासी बाहुल्य वाला इलाका होना चाहिये। वहां पर कारखाने बनाइये, किसानों को जमीनें दीजिये, उनकी जमीनों की हिफाजत कीजिए, उनको रोजगार दीजिए, पीने के पानी की सुविधा दीजिए। पीने के पानी की समस्या बहुत भंयकर है। बिहार के आदिवासी इलाके में पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा भंयकर स्थिति है, वहां पर पीने के पानी की सुविधा दीजिये उनको आगे बढ़ाने के लिये अगर दुगना तिगुना धन भी खर्च करना पड़े तो हिन्दुस्तान की जनता हिन्दुस्तान की संसद खुशी-खुशी देने के लिये तैयार है। मैंने इस संकल्प के क्रम में जो दृष्टिकोण बताया है, उस

दृष्टिकोण पर विचार किया जाये, मेरा तिवारी जी से निवेदन है कि इस पर विचार करें, यही एकमात्र रास्ता है और उनको राजनीतिक अधिकार दिया जाये। जब तक उनको राजनीतिक अधिकार नहीं दीजियेगा, तब तक उनका उद्धार नहीं हो

[श्री रामावतार शास्त्री]

सकता। उनके हाथ में शासन सूत्र दीजिये उनको अपना राज्य बनाने का अधिकार दीजिये और उन राज्यों में आदिवासी बाहुल्य वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाये। इन शब्दो के साथ मेंइस संकल्प का समर्थन करता हू।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Girdhari Lal Vyas. I shall call one young Member from the Opposition and one old Member from the Ruling party.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की ओर मैं माननीय योजना मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में सात आठ जिले पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और बारह पंद्रह रेगिस्तानी क्षेत्र में आते हैं। इस तरह से राजस्थान हर माने में पिछड़ा हुआ है। फिर चाहे वह पर्वतीय क्षेत्र हो या रेगिस्तानी। इन वर्षो में राजस्थान के लोगों की जो आर्थिक दशा बिगड़ी है उस पर भी गम्भीरता से सोच विचार करने की आवश्यकता है। आप पैसा पापुलेशन के बैसिस पर देते है। वह रेगिस्तानी इलाका बहुत ज्यादा है जहां पर मुश्किल से दस आदमी ही एक वर्ग मील में रहते है। पर्वतीय क्षेत्रों की भी पापुलेशन बहुत कम है। जब आप किसी प्रान्त का विकास करना चाहते हैं तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना होगा। मेरा सब से पहला सुझाव यह है कि राजस्थान को क्षेत्रफल के आधार पर मदद मिलनी चाहिये, उसके समुचित विकास की व्यवस्था होनी चाहिये।

भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही, सवाई, माधोपुर, अलवर, बूंदी, झालावाड़ ये राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र है। इन में खनिज पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाये जाते है, खनिज सम्पदा से ये इलाके भरे हुए हैं। इन पदार्थो का अगर एक्सप्लायटेशन किया जा सके, इन पर आधारित कल कारखाने लगायें जा सकें तो निश्चित रूप से राजस्थान इस स्थिति में हो सकता है कि सारे देश को इन चीजों की सप्लाई कर सके। इस संदर्भ में मैं सिमेंट उद्योग का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। इन जिलों में चूने के पत्थर के विपुल भंडार है। अगर आप पंद्रह सिमेंट के कारखाने भी इन जिलों में लगाये, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बासवाड़ा में लगाये तो उनको आसानी से चूने के पत्थर की सप्लाई हो सकती है और इसकी उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। आज भी चार पांच वहां सिमेंट के कारखाने लगे हुए है लेकिन और ज्यादा लगने की बहुत गुंजाइश है। कोटा से चित्तौड़ तक आपने कृपा करके बड़ी लाइन स्वीकार की है। यह बहुत बड़ा काम आपने किया है जिसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसमें वहां सिमेंट के कारखाने फल फूल सकते है। मेरी प्रार्थना है कि हर जिले में कम से कम दो-दो तीन-तीन सिमेंट के कारखाने तो आप स्थापित करें। इससे सारे देश की सिमेंट की आवश्यकता पूरी होगी और प्रगति के रास्ते पर देश तेजी से आगे बढ़ सकेगा।

माइका के भी बहुत बड़े भंडार खास तौर से भीलवाड़ा में मिले हैं। इससे हम को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। इन खदानों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लायट करके ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की आज आवश्यकता है। बिहार में आपने एक माइका पेपर का कारखाना दिया है।

हमारी भी इसकी बहुत बरसों से मांग चली आ रही है। हिन्दुस्तान में इस तरह के कारखाने के लिए अगर किसी जिले का दूसरा नम्बर आता है तो वह भीलवाड़ा है। वहां आपने माइका पेपर का कारखाना लगाया तो हजारों आदमियों को रोजगार मिल जाएगा और आपको विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी और उस इलाके की आर्थिक उन्नति भी हो सकेगी।

भीलवाड़ा में आबूचा नामक स्थान पर जिंक के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। जिंक पर आधारित स्मैल्टर प्लांट की वहां स्थापना हो सकती है या अन्य प्रकार के कल कारखाने लग सकते हैं। आप योजनाबद्ध तरीके से अगर विकास करना चाहते हैं तो निश्चय ही इससे इस क्षेत्र की बहुत बड़ी उन्नति हो सकती है और यहां की बेरोजगारी और बेकारी की समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है। मैं यह भी चाहता हूं कि सुपर जिंक स्मैल्टर प्लांट भी आप लगाएं ताकि लोगों को औद्योगिक विकास की तरफ जाने का अवसर मिले। इतने विपुल भंडार हिन्दुस्तान में तो क्या एशिया में कहीं नहीं हैं जिंक के। इससे पंद्रह हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है, करोड़ों रुपये की आपको आमदनी हो सकती है, फारेन एक्सचेंज आपको मिल सकता है। बहुत से ऐसे रसायन निकल सकते हैं जिनकी देश में कमी है और विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। इसलिये इस व्यवस्था को माकूल तरीके से लागू करें और इस कारखाने को बनायें तो बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है।

राक फ़ासफेट के भंडार उदयपुर के पास निकले हैं। माननीय सेठी साहब ने कहा है कि राक फौसफेट पर आधारित एक फर्टिलाइजर का कारखाना वहां पर लगायेंगे। मेरी मांग है कि उस ओर आपको ध्यान देना चाहिये।

उदयपुर क्षेत्र में काफ़ी भील रहते हैं और उनकी हालत ऐसी है कि आगे पीछे बेचारों के पास सिवाय लंगोटी के और कुछ नहीं है। उनको रोटी रोजी देने के लिये बड़े-बड़े कारखाने आपको इस क्षेत्र में लगाने चाहियें जिससे इन आदिवासियों को लाभ हो। माननीय सेठी जी ने कहा है कि हम कारखाना लगायेंगे, मगर कितनी जल्दी लग सकता है, यह योजना मंत्री जो, आप पर निर्भर करता है, क्योंकि जब तक आप स्वीकृति नहीं देते तब तक कोई काम नहीं होगा। इसलिये राजस्थान के पिछड़े और ट्राइबल क्षेत्र के लिये इस प्रकार की व्यवस्था जल्दी-जल्दी कराइये ताकि उसके जरिये वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और उनको राहत मिल सके।

इसी तरह से संगमरमर के भंडार उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मिले हैं। इसके ऊपर बेस्ड कारखाने लग सकते हैं जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। माइनिंग बेस्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके बहुत बड़े भंडार राजस्थान के पहाड़ी जिलों में हैं। सभी मिनरल्स वहां हैं। प्लांनिग डिपार्टमेंट अगर इनके सम्बन्ध में सोचे तो बहुत बड़ा लाभ हमको मिल सकता है और राजस्थान प्रगति के रास्ते पर बढ़ सकता है।

योजना मंत्री महोदय, राजस्थान को 32 सालों में केवल 2 परसेंट पैसा दिया है जिससे वह प्रान्त पिछड़ा हुआ रह गया है। और ....

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: What is it we are discussing? Is it Rajasthan which we are discussing?

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He wants to know how many hill areas are there in Rajasthan.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): There are not only hill areas in Rajasthan; but even the Chief Minister is a hill-man—Pahadia.

(*Interruptions*)

श्री गिरधारी लाल व्यास : 7 जिले हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा । अगर अटल जी ने न देखे हों तो मैं दिखा सकता हूं । आपके पीछे माननीय सतीश जी बैठे हुए हैं उनसे पूछ लीजिये ।

इन पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी मिनरल्स निकलते हैं। कोटा में, चित्तौड़ और बूंदी में जो पट्टियां निकलती हैं और पत्थर निकलता है वह सारे देश में सप्लाई होता है । वहां पर लेबर डिमार्टमेंट की तरफ़ से कोई रिलीफ़ मजदूरों को नहीं मिल रहा है। कोई वेलफेयर ऐक्टिविटी नहीं चल रही है जहां ट्राइबल्स काम करते हैं । उनके लिये वैलफ़ेयर ऐक्टिविटी चलनी चाहिये जिससे उनको राहत मिले।

रेलवे का मामला भी बहुत गड़बड़ है, इसलिये इस व्यवस्था को भी करना चाहिये ।

पीने का पानी राजस्थान के इन पहाड़ी जिलों में बहुत कम है । उस व्यवस्था को करने के लिये राजस्थान मे जितने करोड़ रुपया छठी योजना में मांगा उतना रुपया नहीं दिया। 200 करोड़ रु० की आपने कमी कर दी । इसलिये पीने के पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पायेगी। आप इसके लिये भी कोई व्यवस्था कीजिये ताकि वहां के लोगों को पीने के पानी की सुविधा प्राप्त हो सके ।

सिचाई के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बड़ी-बड़ी नदियां खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा में यों ही बह रही हैं। इन पर बांध बनाकर हम वहां के क्षेत्रों की ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, वहां की जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे माननीय मंत्री महोदय को करनी चाहिये।

लैंड रिफार्म के बारे में मेरा निवेदन है कि ट्राइबल्स को आपने 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत जमीन देने की बात कही लेकिन आज भी राजस्थान में बड़े-बड़े राजा महाराजा, बड़े-बड़े जागीरदार हैं जिनके पास सैंकड़ों बीघा जमीन है और कई स्थानों पर उन्होंने गलत तरीके से जमीन रखी हुई है । लैंड सीलिंग के कानून को प्रभावी बनाया जाना चाहिये । आज भी जयपुर के महाराजा के पास 10 हजार बीघा और बीकानेर के महाराजा के पास 5 हजार बीघा जमीन पड़ी है। बहुत से पूंजीपतियों के पास भी बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई है । इन सब से यह जमीम लेकर गरीब ट्राइबल्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को अगर हम बांटे तो निश्चित तरीके से उनका विकास हो सकता है, उन लोगों की आर्थिक उन्नति हो सकती है।

इसलिये हमारे श्री पाराशर जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं और माननीय योजना मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मैंने जो सुझाव रखे हैं, उन पर गौर फरमा कर कुछ न कुछ व्यवस्था करने की कृपा करें ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the time for discussion on this Resolution was extended up to 5.45 P.M. It is now already 5.50 P.M. and there are some more hon. Members who want to speak on this Resolution. I want to know the sense of the House. Then the Minister has to reply. Afterwards the mover of the resolution would also have to speak. Therefore, do you want that the time for discussion on this resolution is extended by one hour?

SHRI MOOL CHAND DAGA: We want to participate in the discussion. Therefore, the time for the discussion may be extended by two hours.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall extend it for one hour more. This will be taken up next time. We will not sit beyond 6.00 P.M. today. I think one hour's extension is all right.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

SHRI K. P. SINGH DEO (Dhenkamal): What about the other resolutions.

MR. DEPUTY-SPEAKER: They will be taken up next time. But only Mr. Vajpayee's Resolution will be taken up, not other resolutions.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात अपने मित्रों से कह दूं, मेरा प्रस्ताव अब नहीं तो अगली बार आयेगा, तो आप क्यों उसमें रुकावट डाल रहे हैं? आपकी यह योजना सफल नहीं होगी।

श्री मूल चन्द डागा : काल का कोई भरोसा मत करो। जो आज है वह आज है, टुमारो नेवर कम्स।

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I think Mr. Vajpayee's Resolution will not lapse.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only Mr. Vajpayee's Resolution will come up. Now, Mr. Mahajan to speak.

SHRI Y. S. MAHAJAN (Jalgaon): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Resolution brought forward by Mr. Parashar. We share his anxiety about the economic development and cultural progress of the people living in the various hilly areas. It is thue, these people have not had a fair share in the economic development and technological progress which we have made during the last 30 years. They have lagged behind other sections of the community and they are still living a life which shows they are 50 or 60 years behind the other sections of the community. They have not got the benefit of the economic development of the last 25 or 30 years. The Resolution says that these areas need to be provided with social and economic infre structiure, such as supply of drinking water, provision of post offices, banks, roads etc. There can be no doubt that these things are necessary.

Another factor which the Resolution stresses is that these areas should be industrialised. There can be no two opitions on the point also. In this connection, I would like to say that we have to emphasise the promotion of village and small scale industries, because on account of the geographical and logistic difficulties it would be very difficult to locate medium or large scale industries in these areas. Only small scale and cottage industries can be set up in these areas and these can be set up with a small amount of money. These industries can provide employment to a large number of people. These small and cottage industries can be set up, as I said, with a small amount of capital. They should be encouraged since our country suffers from capital scarcity. These small industrialisty should be provided with the required training and technical education. Provision of scientific and technical appliances to these people would help them in increasing their productivity. This point it also stressed in the Resolution. The standard of living of the people in hilly regions is very low. Unless they are provided with all the facilities, scientific appliences anl implements to increase their productivity it will not be possible to raise their standard of living.

I would not like to mention the points which have already been made by the hon. Members. The people in the hilly areas are mainly able to maintain themselves by exploiting the forests, and while doing so, they come in conflict with the forest rangers appointed by the Government. They fell the trees, remover the bamboos and other forest wealth and mostly it is done without the authority and consent of the Government

They have to resort to it in order to make their livelihood. Therefore, there is always a conflict between them and the forest rangers. They cannot do without this, because they do not have any other source of living and we do not provide them with any other employment opportunities to maintain themselves. They have to do it perforce. We must, see that economic progress in those areas takes place and maintained consistently with the development of our forest resources. Unfortunately our forest wealth has been reduced considerably during the last twenty years.

Further, these areas are mostly covered by Panchayati Raj institutions. But unfortunately, these institutions have not been able to take proper care of these people, because the officers who go there are the relatives of the office bearers in the Panchayat Raj administration. They sometimes exploit the people and are not able to give them justice in economic and other matters.

With the beginning of progress in these areas, some persons from the plains, *viz.*, traders and contractors, have gone there but they exploit these people In Maharashtra, to combat this problem, we have prepared a sub-plan for tribal areas which aims to eliminate these contractors and traders by encouraging the formation of cooperative societies of these people. Wherever jungle kamdaras are there, we have formed their coopratives societies so that the contractors may not be able to exploit them.

Then, most of these areas are on the borders of our country. Therefore, from the defence point of view also, their development is very important. They safeguard our boundaries and, therefore, from the defence point of view, it is necessary that economic development should take place of these areas. These people should be provided with all facilities to make scientific and technological progress so that they are able to maintain themselves better and safeguard our frontiers.

18 hrs.

Sometimes, officers are sent to these areas from the plains. But they are usually unwilling to go there. Even if they do go, they do not put their heart and soul into the work. Therefore, in the interest of economic development of these people, the officers who are sent there should be given some encouragement and inducement to work there, otherwise the interest of these people will continue to suffer.

Sir, I support this Resolution. At the same time I must point out that the Planning Commission has been aware of the problems of these people and it has made a very large provision for the development of their area in the Sixth Five-Year Plan. The amount provided for has been mentioned by Shri Arakal. If you take that into account it will be clear that we are more conscious of the problems of these people, and that we are bent on achieving their economic progress.

18.01 hrs.

The Lok Sabha then adjouruned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 15, 1981/*Chairta* 25, 1903 *(Saka)*

GMGIPMRND—LS II—517 LS—15-7-81—890.